

तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

फोन एवं फैक्स : 05278-245411
Tele & Fax : 05278-245411
Email- rofaizabad@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

Ref. No. : 851/OA No. 584/2022-2022

दिनांक : 12.12.2022
Dated :

To,
The Deputy Registrar (Judicial),
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi-110001

Sub.: Hon'ble NGT order dated 14/09/2022 (O.A. No. 584/2022) Durga Prasad Yadav and other Vs. State of Uttarakhand, before NGT, New Delhi.

Hon'ble Sir,
Kindly refer to the above subject. In compliance of Hon'ble NGT order dated 14/09/2022 (O.A. No. 584/2022) Durga Prasad Yadav and other Vs. State of Uttarakhand, the industry is in question M/s Amrit Bottlers Pvt. Ltd., Chandpur Harbans, P.O. Dabhasemar, Distt. Ayodhya and the sites mentioned in complaint letter has been jointly inspected by Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Ayodhya, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Ayodhya, Additional Director, Civil Aviation Department, Lucknow and Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Ayodhya dated on 09.11.2022 and the records related to the case were also examined by the Joint Committee.

The copy of the inspection report with detailed Annexures is annexed herewith this letter for your kind perusal.

Ayodhya
Dated: 12.12.2022

With Regards

(Chandresh Kumar)
Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Ayodhya.

Joint committee inspection report in compliance of order dated 14.09.2022 passed by Hon'ble NGT New Delhi in O.A. No. 584/2022 Durga Prasad Yadav and others Vs. State of Uttarakhand.

In compliance of order dated 14.09.2022 passed by Hon'ble NGT New Delhi in O.A. No. 584/2022 Durga Prasad Yadav and others Vs. State of Uttarakhand a joint committee was formed as follows-


- 1- Shri Vishal Singh, Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Ayodhya.
- 2- Shri Prabhakant Awasthi, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Ayodhya.
- 3- Shri. S.P. Singh, Additional Director, Civil Aviation Department, Lucknow.
- 4- Shri Chandresh Kumar, Regional Officer, UP Pollution Control Board, Ayodhya.

The grievance in the letter by the complainant/applicant, is regarding damage to the environment and existence of River Trilodki Ganga Baha (Tilaiya Drain) caused by the construction of Maryada Purushottam Shri Ram Airport and encroachment of the flow area of Trilodki Ganga Baha (Tilaiya Drain). M/s Amrit Bottlers Pvt. Ltd., Chandpur Harvansh, Post-Dabhasemar, District-Ayodhya is discharging polluted water in the aforesaid drain.

On date 09.11.2022, the joint committee as above, conducted the on-site inspection of the mentioned industry M/s Amrit Bottlers Pvt. Ltd., Chandpur Harvansh, Post-Dabhasemar, District-Ayodhya. Apart from this, the records related to the case were also examined by the Joint Committee. Complainant Mr. Durga Prasad Yadav, Mr. Saurabh Singh (concerned lekhpal) and some local residents were also present at the time of inspection. The detailed report is as follows-

1- **M/s Amrit Bottlers Pvt. Ltd., Chandpur Harbans, P.O. Dabhasemar, Distt-Ayodhya.**

During inspection, the unit was found not in operation due to own reason (As per document produced by unit representative at the time of inspection unit was not engaged in production of cold drink due to off season, only packaged drinking water plant is working). General information, Observations and conclusion based on inspection are as below:









A: General Information		
1.	Name of the unit and Address	M/s Amrit Bottlers Pvt. Ltd., Chan Harbans, P.O. Dabhasemar, Distt-Ayodhya
2.	Name of the Proprietor/Contact person-Designation Contact No.	Mr. Sanjay Singh (Quality Manager) - 8795834145, 8588817347.
3	Sector	Beverage Industry
4	Production Capacity <ul style="list-style-type: none"> • Products • Installed Production Capacity 	Soft Drink, Juice and Packaged Drinking Water-2302 KLD (2491 B.P.M.) Soft Drink, Juice and Packaged Drinking Water-2302 KLD (2491 B.P.M.)
5.	Raw materials & their requirement	Sugar-1500 MTD, Water-1000KLD, CO2-180 MTD Mango Pulp-540 MTD and Concentrate-18000 Numbers/Day etc.
B: Water Pollution and its Control		
1.	Waste Water Generation (KLD) <ul style="list-style-type: none"> • Industrial • Domestic 	1550 KID 25 KLD

ms

ET

Qm

f

2.	Waste water treated (KLD) <ul style="list-style-type: none"> • Industrial • Domestic 	1550 KLD (Treated by ETP) 25 KLD (Treated by Septic Tank/Soakpit)
3.	Details of ETP And Description	The unit has ETP of 2000 KL/day capacity, whose main units are Bar screen, Sump Tank, Oil & Grease Trap, Equalization Tank(3 No.), Chemical Dosing Tank, Flash Mixer, Flocculation Chamber, Primary Clarifier, Aeration Tank (3 No.), Secondary Clarifier(2 No.), Chlorination, Dechlorination Tank, Treated Water Tank, Fish Pond, Carbon and Sand Filter, Sludge Drying Beds etc.
4.	Mode of disposal of treated effluent	The treated effluent is used for irrigation in the green belt of the premises and balance treated effluent is discharged in Tilaiya Drain by the unit.
5.	Status of Consent under the water Act-1974	Valid up to 31.12.2023
C: Air Pollution and its Control		
1.	Sources of Air Pollution	Briquette fired 01 Boiler of 06 & another boiler of 08 TPH steam Generating capacity is installed in the industry. The unit has 02 no. DG set of 500 KVA each & 04 no. DG set of 1010 KVA each capacity installed in the industry with Acoustic enclosure. Chimney's height of all DG sets found as per board standards.

hug

ESH

Q.

7

2.	Type of Fuel used with consumption Stack details with APCS	Briquette(500Kg/hour)-for 06 TPH boiler. Briquette(800Kg/hour)-for 08 TPH boiler. Separate Cyclone type dust collector as Air Pollution Control System on 06 TPH & 08 TPH Boilers and 30 meter height separate chimney for every Boilers attached from Ground level.
3.	Status of Consent under the Air Act-1981	Valid up to 31.12.2023

Observations:

1. The unit is engaged in the production of Soft Drink, Juice and Packaged Drinking Water-2302 KLD (2491 B.P.M.) Using Sugar-1500 MTD, Water-1000KLD, CO2-180 MTD and Mango Pulp-540 MTD and Concentrate-18000 Numbers/Day etc.as raw material. During inspection unit was found not in production due to own reason.
2. The unit is meeting its fresh water requirement from Ground water through three bore well. Electromagnetic flow meter is installed at the all three bore wells and log book is maintained regarding fresh water consumption. The industry has got a no-objection certificate from Ground Water Department, Uttar Pradesh for groundwater exploitation, whose validity period is from 30-6-2021 to 29-06-2026.
3. The unit has valid consent under the water (PCP) Act, 1974 and the Air (PCP) Act, 1981, which is valid upto 31.12.2023.
4. The unit is generating Effluent @ 1550 KLD which is treated through its Effluent Treatment Plant (ETP) of capacity 2000 KLD. The online monitoring system (OCEMS) installed at the outlet of ETP which have been connected to the servers of CPCB and State Pollution Control Board. The treated effluent is used for irrigation in the green belt of the premises and balance treated effluent is discharged in Tilaiya Drain. The electromagnetic flow meter installed at outlet of ETP.

me

HFI

Q

↑

5. The inspection of the said industry was done earlier by this SPCB on dated 21/09/2022 during inspection the water sample of Treated effluent was collected from the ETP outlet and sample deposited to the Central Laboratory of the State Board, Analysis results are presented below:

Sampling locations	Parameters			
	pH	SS(mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)
Final outlet ETP	7.74	62.0	15.80	122.80

The photocopy of analysis report is attached as Annexure-1.

6. Monitoring report of the gaseous emission of the chimney attached to the 02 boiler (06 TPH & 08 TPH Boilers) has been conducted by the SPCB on dated 20/08/2022. The amount of pollutant in the sample of gaseous emissions was found according to prescribed standards. Monitoring report results are presented below.

S.No.	Parameter	Value	Standards
1.	Particulate Matter (mg/Nm ³)	468.57	800
2.	Particulate Matter (mg/Nm ³)	432.86	800

The photocopies of monitoring report is attached as Annexure-2 and Annexure-3.

7. The PTZ Camera has been installed on ETP premises.
8. As per industry representative piezometer and rainwater harvesting pond(25 Pond) is established by the industry and the capacity of the all 25 pond is 498999 KL.

During inspection joint committee collected treated water sample from ETP outlet and last discharge point of M/s Amrit Bottlers Pvt. Ltd. Joint committee also collected sample of upstream Tilaiya Nala and downstream Tilaiya Nala from meeting point of Tilaya drain and unit discharge point at meeting point of Tilaiya Drain and industrial final outlet drain also a public drain (just adjacent) meets Tilaiya Drain. All water samples has been deposited in Central Laboratory, UP Pollution Control Board, Lucknow for analysis. Analysis results are presented below:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sampling locations	Parameters			
	pH	SS(mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)
Final outlet of ETP	7.75	18.0	8.60	69.0
Final Discharge point of industry M/s. Amrit Bottlers Pvt. Ltd. Ayodhya.	7.66	14.0	7.80	56.0
U/s Tilaiya Drain, Chandpur Harvansh, Ayodhya	7.28	52.0	22.0	128.0
D/s Tilaiya Drain, Chandpur Harvansh, Ayodhya	7.32	96.0	28.0	196.0

The photocopies of analysis reports is attached as Annexure-4, Annexure-5, Annexure-6 and Annexure-7.

It was informed by the local resident Mr. Dwarkadhish and Complainant Mr. Durga Prasad Yadav present during the inspection that the origin of Trilodki Ganga/Baha (also known as Tilaiya nalla) was from the Samada lake located in Panditpur, Kolagaon, Sohawal, district- Ayodhya. It was informed by him that Trilodki Ganga/Baha/Tilaiya nalla village- Usru, Hansapur, Toniya, Dabhasemar, Chandpur Harvansh, Malikpur, Rajbooth Ka Purva, Puri Hussain Khan, Ganja, Nandapur, Bhikhapur, Dadwan and Shankargarh Bazar etc. a distance of about 20 km. After settling in the form of Tilaiya Nallah, it finally joins Saryu river. It was also informed by him that due to the construction of the airport, the area of Trilodki Ganga/Baha/Tilaiya nalla is being encroached, due to which the Trilodki Ganga/Baha/Tilaiya nalla is becoming narrower and the industry by M/s. Amrit Bottlers Pvt. Poisonous water is being discharged into the Trilodki Ganga/Baha/Tilaiya nalla, due to which the fields of the residents/farmers of village-Ganja, entire Hussain Khan, Janaura Dehat and Hansapur etc. have

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

been waterlogged and crops have been destroyed. Due to water logging, there is a possibility of spread of diseases in all the above villages. Therefore, by measuring the Trilodki Ganga/Baha/Tilaiya nalla, its conservation and cleaning is very important in the public interest.

1- Joint committee informed by revenue department that the land was required for the purpose of development of State Air Strip situated at District-Ayodhya into Ayodhya Airport as per the master plan made available by the Airports Authority of India. For the said purpose, land was purchased as per the provisions contained in the government order no.2/2015/215-Ek-13-2015-20(48)2011 dated 19.03.2015 with the consent of recorded tenure holders and the sale deed was executed in favour of Civil Aviation Department of Uttar Pradesh. The sale consideration after execution of the sale deeds have been already paid to the recorded tenure holders. The total private land required for development of Ayodhya Airport is 499.6846 acres out of which 474.94979 acres of land have been purchased in the favour of Civil Aviation Department which is 95.05% of the private land required. Copy of the chart indicating the details of the land purchased is being annexed herewith as Annexure-8.

As per revenue department in the revenue records no river by the name of Trilodki Ganga is recorded in the revenue records pertaining to Villages-Ganga, Hasapur, Chandpur, Haribansh, Poore Hussain Khan of Tehsil- Sadar, District Ayodhya.

2- As per revenue records provided by revenue department the aforesaid drain in Village-Ganga flows from gata nos. 190, 274, 349, 356, 357, 386, 385, 378, 374, 655, 655/1042, 666, 665, 663, 661, 681, 684, 700 and 692, out of which gata nos. 274, 374, 655, 663, 666, 665, 655/1042 are recorded in the name of education department in revenue records, gata nos. 385Ka and 681Kha are recorded in the name of pond, gata nos. 681Ka is recorded in the khata of banjar, naveen parti and pond whereas gata nos. 190 Mi., 349Ka, 356 and 692 are recorded in the khata of Baha. The gata nos. 700, 372, 349 Kha, 357, 386 and 385Ka are recorded in the khatas of tenure holders as bhumidhar with transfer rights. Copies of the Khataunis alongwith Naksha Nazri are being annexed herewith a Annexure-9.

The aforesaid drain in Village-Pura Hussain Khan flows from gata nos. 496, 497, 514, and 609 out of which gata nos. 496Ka, 514 and 609 are recorded in the revenue records in the name of education department/government property, whereas gata nos. 497 is recorded as









bhumidhar with transferable rights in the name of Bechu Lal, Jokhu Lal, Ramdeen son of Jhagroo etc. Copies of Khataunis are being annexed herewith as Annexure-10.

The aforesaid drain in Village-Ashapur is recorded in gata no.16/0.1110 hectare as Nala. Copy of the Khatauni alongwith Naksha Nazri is being annexed herewith as Annexure-11.

The aforesaid drain in Village-Vasupur Sirsa alias Jaisinghpur flows through gata nos.66, 73, 348, 350/1,69, 70, 72, 56, 305, 21, and 308, out of which gata nos. 66, 73, 350/1, 56, 305, 21 and 308 are recorded as Tilai Nala, whereas gata nos. 69, 70 and 72 are recorded in the revenue in the name of Sri Ram Dev son of Bhagwan Deen and other co-tenure holders as Bhumidhar with transferable rights. Copies of the Khatauni alongwith Naksha Nazri are being annexed herewith as Annexure-12.

The aforesaid drain in Village-Kazipur Chitawa flows from gata nos. 55, 181, 86, 64 Mi., 65 and 179 Va, out of which gata nos. 55, 181, 64 Mi., 65 and 179 Va are recorded in the revenue records as Tilai Nala, whereas gata no. 86 is recorded in the name of Ram Krishna son of Ramasrey and other co-tenure holders as bhumidhar with transferable rights. Copies of the Khatauni alongwith Naksha Nazri are being annexed herewith as Annexure-13.

The aforesaid drain in Village-Takapur flows from gata nos. 56 which is recorded in the revenue records as Nala. Copy of the Khatauni is being annexed herewith as Annexure-14.

The aforesaid drain in Village-HaibatPur flows from gata nos. 61Kha, 228, 59, 60, 61Ka, out of which 61Kha and 228 are recorded in the name of Nala in the revenue records and the remaining are recorded in the name of tenure holders as bhumidhar with transferable rights. Copies of Khatauni are being annexed herewith as Annexure-15.

The aforesaid drain in Village-Shanewazpur Manjha flows from gata nos.287, 288Kha and 769Ja, out of which gata nos. 287 and 288Kha are recorded in khata of Soti, whereas gata nos. 769Ja is recorded as Nala. Copies of the Khatauni are being annexed herewith as Annexure-16.

The aforesaid drain in Village-Rampur Halwara Manjha flows from gata no. 311A which is recorded as Jalmagna (immersed with water) in the records. Copy of the Khatauni is being annexed herewith as Annexure-17.

Thus, the drain passes through the revenue villages Hansapur, Pura Hussain Khan, Ganja, Janaura, Bhikhapur, Ranopali, Ashapur, Takapura, Haibatpur, Kazipur Chitawa, Vasupur Sirsa alias Jaisinghpur, Shahnewazpur, Manjha etc. and lastly ends into Saryu River.









3- As per revenue department the government order dated 3.06.2016 and 06.07.2022 specifically provides that the proceedings of category change/resumption/exchange of the land covered u/s 77 of the U.P. Revenue Code, 2006 will be undertaken in very exceptional and unavoidable circumstances and in case land covered in the section 77 is subjected to resumption/category change, then the land in excess belonging to general category (Samanya Shreni) should be reserved in the same or nearby gram panchayat/local authority. The category of the land has been changed as per the provisions prescribed in the government order dated 03.06.2016 read with government order dated 06.07.2020 vide order dated 28.06.2021 passed by the District Magistrate, Ayodhya as the land was required for the development of Airport which was very exceptional and unavoidable situation. The equivalent land of Baha category utilized for the purpose of Airport has been reserved in the khata of Baha in accordance with the government orders dated 03.06.2016 and 06.07.2020. Copies of the government order dated 03.06.2016, 06.07.2020 and 28.06.2021 are being annexed herewith as Annexure-18, Annexure-19 and Annexure-20.

It is submitted that steps are being taken to ensure that water flow of the area is not hindered due to extension of the Ayodhya Airport and water flow remains smooth. The Executive Engineer, Irrigation Division, Ayodhya in his report dated 21.09.2022 has stated that the land has been acquired falling in catchment area of Usroo Minor, Firozpur Minor, Sarethi Minor, Chandpur Harvansh and Sarraiya drain for the purpose of development of Ayodhya Airport. The District Magistrate, Ayodhya in order to ensure solution for smooth water flow in the concerned area has constituted a committee comprising of officers of different departments and that committee has given its report after making spot inspection in which certain recommendations have been made for construction of drains. The estimate for construction of drains was prepared and forwarded to the Additional Chief Secretary, Civil Aviation, Government of U.P. Lucknow vide letter dated 26.07.2022 issued from the office of the District Magistrate, Ayodhya. Again, reminder letter dated 08.09.2022 has been sent for approval of the estimate and as soon as estimate is approved, further steps will be taken for the construction of drain so as to ensure smooth water flow of the area which has been affected by the construction of Maryada Purshottam Shri Ram International Airport. Copies of the letters dated 26.07.2022, 08.09.2022 along with the report of the committee and the report dated 21.09.2022 of the









Executive Engineer, Irrigation, Ayodhya are being annexed herewith as Annexure-21, Annexure-22 and Annexure-23.

4- As per documents/records submitted by revenue department in development of Ayodhya Airport land of 8 villages are being affected which includes Janaura (Outside Nagar Palika), Pura Hussain Khan, Ganja, Nandapur, Firozpur, Dharampur Shahadat, Khushmaha and Sarethi. The land of village Hasapur and Chandpur Harvansh are not affected by the development of Airport. The revenue village Khusmaha, Sarethi, Dharampur Sahadat and Firozpur are situated at East and North East directions of the Ayodhya Airport, whereas the villages-Ganja, Pura Hussain Khan, Janaura, Chandpur Harvansh and Dhaba Semar are adjacent to the Airport on the Western, Southern and Northern directions and they are not affected by water flow. The Chandpur Harvansh drain and Firozpur Minor are affected by the extension of the Airport for which alternate arrangement has been made. The Executive Engineer, Irrigation Division, Ayodhya in its report dated 21.09.2022 has informed about the problem arising due to acquisition of the land falling in the catchment area of the drains. The committee constituted by the District Magistrate has made recommendation and as per the recommendation, the Irrigation Department has made a project for construction of alternate drain for the proper disposal of water of catchment area into the Saryu river as indicated herein above in the preceding paragraph. Under the project, it has been ensured to make provision for smooth disposal of water from catchment area and from area falling within the realm of Airport.

Conclusion:

It is concluded from the above facts that in presently the industry is complying with environmental norms and as per revenue records no river by the name of Trilodki Ganga is recorded in district Ayodhya. The Trilodki Ganga referred by the complainant is recorded as Tillaiya Nalla in some villages and recorded as Soti and Baha in some villages in revenue records pertaining to Villages Ganja, Hasapur, Chandpur, Haribansh, Poore Hussain Khan of Tahsil Sadar, District Aodhya. As per above facts that steps are being taken to ensure that water flow of the area is not hindered due to extension of the Ayodhya Airport and water flow remains smooth. The estimate for construction of drains was prepared and forwarded to the Additional Chief Secretary, Civil Aviation, Government of U.P. Lucknow vide letter dated 26.07.2022 issued from the office of the District Magistrate, Ayodhya. Again, reminder letter dated











08.09.2022 has been sent for approval of the estimate and as soon as estimate is approved, further steps will be taken for the construction of drain so as to ensure smooth water flow of the area which has been affected by the construction of Maryada Purshottam Shri Ram International Airport.

Inspection Team:


- 1- Vishal Singh, Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Ayodhya. 
- 2- Prabhakant Awasthi, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Ayodhya. 
- 3- S.P. Singh, Additional Director, Civil Aviation Department, Lucknow. 
- 4- Chandresh Kumar, Regional Officer, UP Pollution Control Board, Ayodhya. 




Sample collection from ETP Outlet, Amrit Bottlers Pvt. Ltd. Chandpur, Harbans, Dabhasemar, Ayodhya- 224143



Inspection of Amrit Bottlers Pvt. Ltd. Chandpur, Harbans, Dabhasemar, Ayodhya- 224143




Sample Collection at Tilaiya Drain, Ayodhya.



Final Discharge point of M/s Amrit Bottlers Pvt. Ltd. Meeting to Tilaiya drain, Ayodhya.



Joint Inspection by committee at Maryada purushottam sriram airport, Ayodhya.



GPS Map Camera

Faizabad, Uttar Pradesh, India
Q44V+MP3, Jogitara, Faizabad, Uttar Pradesh
224001, India
Lat 26.756407°
Long 82.144176°
09/11/22 12:57 PM GMT +05:30

Joint Inspection by committee at Maryada purushottam sriram airport, Ayodhya.



 **GPS Map Camera**

Hansa Pur, Uttar Pradesh, India

P5V5+GG7, Hansa Pur, Uttar Pradesh 224133, India

Lat 26.743273°

Long 82.158847°

09/11/22 01:32 PM GMT +05:30

Google

Joint Inspection by committee at Ganja Lake, hansapur, Ayodhya.



Annexure-01

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 17934340/Faizabad/2022

Date:06/10/2022

- 1- Name of Industry: AMRIT BOTTLERS PRIVATE LIMITED
- 2- Address of Industry: Chandpur Harbans, Dabhasemar, Ayodhya, AYODHYA, 224133
- 3- District: Ayodhya
- 4- Description about sampling point: Final Outlet Of ETP
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Rajendra Chaubey SA & Vinod kumar LA
- 7- Colour and Odour: Colourless Odourless
- 8- Quantity and Packing: 2 Ltrs
- 9- Date of Sample Collection: 21/09/2022
- 10- Analysis Indented by: RO Faizabad
- 11- Date of sample receipt in Lab: 22/09/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, 4500 H B Electronic method	-	7.74	6.5-8.5	02-12
Suspended Solids, 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	62.0	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	1136.0	2100	10- 50000 mg/l
Total Solids, 2540 B Total Solids dried at 103-105 0C	mg/l	1198.0	-	10- 50000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	15.8	30	1.0-50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	122.8	250	5.0-100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of environment Pollutants are as per-A Effluent(Schedule-VI),The environment (Protection) Rules,1986 source:
www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Remark: NA

Analysed by

[Arti Gupta(SA)]

Authorized by

ANANT Digitally signed by
ANANT PRASAD
Date: 2022.10.06
17:10:50 +05'30'
PRASAD
Dr Anant Prasad ASO

RAM Digitally signed
by RAM GOPAL
Date: 2022.10.06
17:11:03 +05'30'
GOPAL

Chief Environmental Officer

Central Laboratory

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

**REGIONAL LABORATORY**

(05278-245411)

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD1/17/104, Ram Nagar Colony, Prikrama Marg
Ayodhya-224001**ANALYSIS REPORT (SOURCE EMISSION)**

1-	Name and Address of Industry	M/s. Amrit Bottlers Pvt. Ltd. Chandpur Harvans, Ayodhya.
2-	Production Capacity	2146 Bottles/Minut (Soft Drink)
3-	Monitored By	D C Mishra (M.A.) & Vinod Kumar (L.A.)
4-	Source of Monitoring	Stack
5-	Date of Monitoring	20.08.2022
6-	Stack attached to	Boiler
7-	Capacity of Boiler	06 TPH
8-	Type of fuel used	Bricket
9-	Quantity of fuel Consumption	400 Kg./hr
10-	Stack height in Meters/Feet	30 Meters
11-	Air Pollution Control System	Cyclone Dust Collector

S. No.	Parameters	Observed Values	Standard Value
1-	Ambient Temp. in °C	26.0	--
2-	Stack gas Temp. in °C	123.0	--
3-	Velocity of gas in meter/sec.	7.82	--
4-	Concentration of PM in mg/Nm ³	468.57	800.00
5-	Concentration of SO ₂ in mg/Nm ³	--	--
6-	Concentration of NO _x in mg/Nm ³	--	--

Analyzed by

[L.A.]

[M.A./S.A.]

(Regional Officer)



REGIONAL LABORATORY

(05278-245411)

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

1/17/104, Ram Nagar Colony, Prikrama Marg
Ayodhya-224001ANALYSIS REPORT (SOURCE EMISSION)

1-	Name and Address of Industry	M/s. Amrit Bottlers Pvt. Ltd. Chandpur Harvans, Ayodhya.
2-	Production Capacity	2146 Bottles/Minut (Soft Drink)
3-	Monitored By	D C Mishra (M.A.) & Vinod Kumar (L.A.)
4-	Source of Monitoring	Stack
5-	Date of Monitoring	20.08.2022
6-	Stack attached to	Boiler
7-	Capacity of Boiler	08 TPH
8-	Type of fuel used	Bricket
9-	Quantity of fuel Consumption	420 Kg./hr
10-	Stack height in Meters/Feet	30 Meters
11-	Air Pollution Control System	Cyclone Dust Collector

S. No.	Parameters	Observed Values	Standard Value
1-	Ambient Temp. in °C	28.0	--
2-	Stack gas Temp. in °C	138.0	--
3-	Velocity of gas in meter/sec.	7.97	--
4-	Concentration of PM in mg/Nm ³	432.86	800.00
5-	Concentration of SO ₂ in mg/Nm ³	--	--
6-	Concentration of NO _x in mg/Nm ³	--	--

Analyzed by

[L.A.]

[M A / S A]

(Regional Officer)



Annexure-04

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010



TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 18548473/Faizabad/2022

Date: 25/11/2022

- 1- Name of Industry: AMRIT BOTTLERS PRIVATE LIMITED
- 2- Address of Industry: Amrit Bottlers Private Limited, Chandpur Harbans, Dabhasemar, Ayodhya, AYODHYA, 224133
- 3- District: Ayodhya
- 4- Description about sampling point: Final outlet of ETP
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Vinod Kumar LA & Chandresh kumar RO
- 7- Colour and Odour: Colourless Odourless
- 8- Quantity and Packing: 2 Ltrs
- 9- Date of Sample Collection: 09/11/2022
- 10- Analysis Indented by: RO Faizabad
- 11- Date of sample receipt in Lab: 10/11/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, 4500 H B Electronic method	-	7.75	6.5-8.5	02-12
Suspended Solids, 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	18.0	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	992.0	2100	10- 50000 mg/l
Total Solids, 2540 B Total Solids dried at 103-105 0C	mg/l	1010.0	-	10- 50000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	8.6	30	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	69.0	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of environment Pollutants are as per A Effluent(Schedule-VI). The environment (Protection) Rules, 1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Remark: NA

Analysed by

[Jyoti Tiwari (SA)]

Authorized by
ANANT Digitally signed by
ANANT PRASAD
PRASAD Date: 2022.11.25
17:20:00 +05'30'
Dr Anant Prasad ASO

RAM
GOPAL Digitally signed
by RAM GOPAL
Date: 2022.11.25
17:20:12 +05'30'
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.



CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010



TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 18549371/Faizabad/2022

Date: 25/11/2022

- 1- Name of Industry: AMRIT BOTTLERS PRIVATE LIMITED
- 2- Address of Industry: Amrit Bottlers Private Limited, Chandpur Harbans, Dabhasemar, Ayodhya, AYODHYA, 224133
- 3- District: Ayodhya
- 4- Description about sampling point: Final discharge of factory
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Vinod kumar LA & Chandresh kumar RO
- 7- Colour and Odour: Colourless Odourless
- 8- Quantity and Packing: 2 Ltrs
- 9- Date of Sample Collection: 09/11/2022
- 10- Analysis Indented by: RO Faizabad
- 11- Date of sample receipt in Lab: 10/11/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, 4500 H B Electronic method	-	7.66	6.5-8.5	02-12
Suspended Solids, 2540 D Total, Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	14.0	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	950.0	2100	10- 50000 mg/l
Total Solids, 2540 B Total Solids dried at 103-105 0C	mg/l	964.0	-	10- 50000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	7.8	30	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	56.0	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environment Pollutants are as per-A Effluent (Schedule-VI). The environment (Protection) Rules, 1986 source: www.epcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Remark: NA

Analysed by

[Jyoti Tiwari (SA)]

Authorized by
 ANANT
 PRASAD
 Dr Anant Prasad ASO

Digitally signed by
 ANANT PRASAD
 Date: 2022.11.25
 17:17:50 +05'30'

RAM
 GOPAL
 Chief Environmental Officer
 Central Laboratory

Digitally signed
 by RAM GOPAL
 Date: 2022.11.25
 17:18:02 +05'30'

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010



TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Date:28/11/2022

Ref no-18549430/CENTRAL/2022

- 1- Sample Location: U/s Teliya Drain Chandpur harbanshpur Ayodhya
- 2- District: Ayodhya
- 3- Address: Teliya Drain Chandpur harbanshpur Ayodhya
- 4- Sample Source: Drain
- 5- Type of sample : Surface Water
- 6- Sample Collected By : Vinod, LA
- 7- Odour : None
- 8- Quantity and Packing : 2 Ltrs
- 9- Date of Sample Collection : 09/11/2022
- 10- Analysis Indented by : RO Faizabad
- 11- Date of sample receipt in Lab : 10/11/2022

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.28	02-12
Colour,2120 B Visual Method	Hazen	30	5-10000 Hazen
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 OC	mg/l	52	5.0 -10000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 OC Total Dissolved Solids dried at 180 OC	mg/l	840	5.0 -10000 mg/l
Total Solids , 2540 B Total Solids dried at 103-105 OC	mg/l	892	5.0 -15000 mg/l
BOD, 3 day 27 OC IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	22	1.0 -1000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	128	4.0 -1000 mg/l

Remark:* - NA

Analysed by

[Ambrish Verma (SA)]

Authorized by
 VINAY Digitally signed by VINAY DUBEY Date: 2022.11.28 17:12:55 +05'30'
 DUBEY
 Vinay Dubey ASO

RAM
 GOPAL Digitally signed by RAM GOPAL Date: 2022.11.28 17:13:15 +05'30'
 CEO Central Laboratory

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.



CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010



TEST REPORT: WATER LABORATORY (SURFACE WATER)

Ref no-18549445/CENTRAL/2022

Date:28/11/2022

- 1- Sample Location: D/s Teliya Drain Chandpur harbanshpur Ayodhya
- 2- District: Ayodhya
- 3- Address: Teliya Drain Chandpur harbanshpur Ayodhya
- 4- Sample Source: Drain
- 5- Type of sample : Surface Water
- 6- Sample Collected By : Vinod kumar, LA
- 7- Odour : None
- 8- Quantity and Packing : 2 Ltrs
- 9- Date of Sample Collection : 09/11/2022
- 10- Analysis Indented by : RO Faizabad
- 11- Date of sample receipt in Lab : 10/11/2022

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.32	02-12
Colour,2120 B Visual Method	Hazen	40	5-10000 Hazen
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	96	5.0 -10000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 0C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	912	5.0 -10000 mg/l
Total Solids , 2540 B Total Solids dried at 103-105 0C	mg/l	1008	5.0 -15000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	28	1.0 -1000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	196	4.0 -1000 mg/l

Remark:* - NA

Analysed by

[Ambrish Verma (SA)]

Authorized by
 VINAY Digitally signed by VINAY DUBEY
 DUBEY Date: 2022.11.28 17:18:09 +05'30'
 Vinay Dubey ASO

RAM Digitally signed by RAM GOPAL
 GOPAL Date: 2022.11.28 17:18:22 +05'30'
 CEO Central Laboratory

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|---|---|
| 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन। | 2- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त
जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। |
| 3- आयुक्त एवं निदेशक,
भूमि अध्याप्ति निदेशालय,
राजस्व परिषद, 30 प्र०। | 4- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश। |

राजस्व अनुभाग-13

लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015

विषय- भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के संबंध में
प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश संख्या-632/एक-13-11-20(29)/2004, दिनांक 02 जून, 2011 द्वारा निर्गत नीति के अनुसार सक्षी प्रयोजनों के लिए भूमि प्राप्त करने की प्रदेश की सामान्य नीति यह है कि भू-स्वामियों एवं अर्जन निकायों के मध्य आपसी समझौते के आधार पर क्रय से संबंधित नियमों/आदेशों के अनुसार भूमि सीधे भू-स्वामियों से क्रय की जाय। भारत सरकार द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 को निरस्त करते हुए "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सत्र 2013)" प्रख्यापित किया गया है जो 01-01-2014 से प्रभावी है। इस अधिनियम की धारा 46 में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों की दशा में सीधे भूमि क्रय करने पर उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन संबंधी लाभ दिये जाने एवं क्रय की कार्यवाही कलेक्टर के माध्यम से करने की व्यवस्था है।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणीकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2
21/10

2- वर्ष 2013 के नये अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया समय एवं श्रम साध्य होने एवं सीधे भूमि क्रय करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किये के उद्देश्य से प्रदेश के राजकीय विभागों, स्वायत्तशासी निकायों, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक प्राधिकरण, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में गठित परिषदों एवं प्रदेश में कार्यान्वित होने वाली पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं आदि अर्थात् इन "क्रय निकायों" के लिए भू-स्वामियों से सीधे भूमि क्रय किये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उपर परस्तर-2 में उल्लिखित क्रय निकायों हेतु भू-स्वामियों / कृषकों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय करने हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

(क) लघु परियोजनाओं हेतु

(1) उपरोक्त क्रय निकायों हेतु "लघु परियोजनाओं" अर्थात् ऐसी परियोजनाएं जिनमें परियोजना के लिए क्रय की जाने वाली भूमि की कुल कीमत ₹0 10.00 करोड़ तक है, के लिए भूमि की दरों की स्वीकृति एवं कुल भूमि मूल्य के अनुमोदन हेतु संबंधित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में निम्नानुसार "जिला (लघु परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति" का गठन किया जाता है:-

1-	अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)	अध्यक्ष
2-	संबंधित अपर जिलाधिकारी(भू०अ०)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी	सदस्य
3-	संबंधित उप जिलाधिकारी(परियोजना प्रशासक)	सदस्य
4-	संबंधित सब रजिस्ट्रार/उप महानिरीक्षक स्टैम्प एवं निबंधन/सहायक महानिरीक्षक स्टैम्प एवं निबंधन	सदस्य
5-	क्रय निकाय/विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सदस्य सचिव

(2) सदस्य सचिव द्वारा समिति की बैठकों एवं कार्यवाहियों का संचालन किया जायेगा। समिति क्रय निकाय द्वारा अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) के समक्ष भूमि क्रय करने का प्रस्ताव/संदर्भ/आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के एक माह के अन्दर क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य का विनिश्चय करते

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.n.c.in> से सत्यापित की जा सकती है।



हए प्रस्ताव अनुमोदन हेतु संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यदि निर्धारित अवधि में समिति द्वारा अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)/अध्यक्ष समिति द्वारा विलम्ब का स्पष्टीकरण संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) अपर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर एवं कुल भूमि मूल्य पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा 15 दिन के अन्दर अनुमोदन पदान करने पर निर्णय ले लिया जायेगा और तदनुसार अपर जिलाधिकारी को सूचित किया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि में जिलाधिकारी द्वारा यथोचित निर्णय नहीं लिया जाता है तो विलम्ब का स्पष्टीकरण मण्डलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त क्रय निकाय द्वारा सीधे क्रय की कार्यवाही की जायेगी और पृथक से और किसी स्तर का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।

(ख) मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं हेतु

(1) उपरोक्त क्रय निकयों हेतु "मध्य एवं वृहद परियोजनाएं" अर्थात ऐसी परियोजनाएं जिनमें परियोजना के लिए क्रय की जाने वाली भूमि की कुल कीमत रू0 10.00 करोड से अधिक है, की भूमि की दरों की स्वीकृति एवं कुल भूमि मूल्य के अनुमोदन हेतु संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार " जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति" का गठन किया जाता है:-

1-	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/जिला रजिस्ट्रार	सदस्य
2-	संबंधित अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी	सदस्य
3-	संबंधित उप जिलाधिकारी(परियोजना प्रशासक)	सदस्य
4-	संबंधित सब रजिस्ट्रार/उप महानिरीक्षक स्टैम्प एवं निबंधन/ सहायक महानिरीक्षक स्टैम्प एवं निबंधन	सदस्य
5-	क्रय निकाय/विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सदस्य सचिव

(2) सदस्य सचिव द्वारा समिति की बैठकों एवं कार्यवाहियों का संचालन किया जायेगा। समिति क्रय निकाय द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष भूमि क्रय करने का

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasaraadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2
31/10

प्रस्ताव / सन्दर्भ / आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के एक माह के अन्दर क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य का विनिश्चय करते हुए प्रस्ताव अनुमोदन हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यदि निर्धारित अवधि में समिति द्वारा अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो जिलाधिकारी / अध्यक्ष समिति द्वारा विलम्ब का स्पष्टीकरण संबंधित मण्डलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर एवं कुल भूमि मूल्य पर संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा 15 दिन के अन्दर अनुमोदन प्रदान करने पर निर्णय ले लिया जायेगा और तदनुसार जिलाधिकारी को सूचित किया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि में मण्डलायुक्त द्वारा यथोचित निर्णय नहीं लिया जाता है तो विलम्ब का स्पष्टीकरण अध्यक्ष, राजस्व परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

4- उपरोक्त दोनों समितियों क्रय की जाने वाली भूमि विवाद रहित एवं भार रहित है का परीक्षण भी करेगी और यथावश्यक किसी भी विभाग/ अधिकारी से सहयोग प्राप्त कर सकेगी और यथावश्यक दर निर्धारण करने हेतु प्रस्तुत तथ्यों की पति परीक्षा कर सकेगी।

5- उपरोक्त दोनों समितियों निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य (जिसमें भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्य, खड़ी फसलों, वृक्षों एवं संबंधित अनुषांगिक व्यय (यदि कोई हो, भी सम्मिलित है) का अनुमोदन करेगी।

(1) उस क्षेत्र में जहां भूमि स्थित है, क्रय किये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि के आस-पास परियोजना प्रारम्भ होने अथवा परियोजना के अनुमोदन प्रदान किये जाने के दिनांक से 06 माह पूर्व के निष्पादित विक्रय विलेखों (वैनामों) में अंकित भूमि की दर तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत निर्धारित सर्किल दर।

(2) भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्य। समिति द्वारा यथावश्यक परिसम्पत्तियों का आंकलन एवं मूल्य का निर्धारण सक्षम शासकीय विभाग से कराया जा सकेगा।

(3) क्रय की जाने वाली भूमि का तत्काल कब्जा प्राप्त किये जाने की स्थिति में संबंधित भू-स्वामी की खड़ी फसलों, वृक्षों, सम्पत्तियों का मूल्य।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की पंजीयनता वेब नडट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



(4) क्रय की जाने वाली भूमि की भवनिक/औद्योगिक क्षमता, आबादी से दूरी को ध्यान में रखा जायेगा।

(5) उस दशा में जब भू-स्वामी/कृषक की भूमि क्रय किये जाने के परिणाम स्वरूप अपना निवास या कारोवार/व्यवसाय का स्थान बदलने के लिए विवश हो जाता है, तो ऐसी तब्दीली से संबंधित अनुषांगिक व्यय (यदि कोई हो) पर भी विचार किया जायेगा।

(6) यह स्पष्ट किया जाता है क्रय की जाने वाली भूमि की दर शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य अथवा सर्किल दर, जो भी अधिक हो, के दो गुने और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने पर बाजार मूल्य अथवा सर्किल दर जो भी अधिक हो, के चार गुने से अधिक नहीं होगी।


(7) संबंधित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप संख्या- 1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

6- संबंधित क्रय निकाय/विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित राजस्व अधिकारियों के सहयोग से भू-स्वामियों से वार्ता कर आपसी सहमति के आधार पर क्रय की जाने वाली भूमि के भू-अभिलेखों के अनुसार स्वामित्व आदि के सम्यक परीक्षण एवं जांचोरास्त विवादरहित एवं भारमुक्त होने की दशा में भूमि के बाजार मूल्य एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन संबंधी अन्य लाभों का संज्ञान लेते हुए संबंधित भू-स्वामियों की लिखित सहमति सहित क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य का युक्तिसंगत एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव जिलाधिकारी/अध्यक्ष समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रस्ताव में वह प्रयोजन जिसके लिए भूमि क्रय किया जाना प्रस्तावित है, क्रय की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल और भूमि का अन्य विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा।

7- क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य पर अनुमोदन के उपरान्त एवं विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व संबंधित क्रय निकाय/विभाग द्वारा निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा:-

सीधे भूमि क्रय किये जाने वाली भूमि का प्रस्तावित कुल मूल्य	अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर
--	-------------------------

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.la.p.c.in> से सत्यापित हो जा सकती है।



1	रु0 50 करोड तक	संबंधित मण्डलायुक्त
2	रु0 50 करोड से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में)	संबंधित प्रशासकीय विभाग
3	रु0 50 करोड से अधिक (राजकीय निगम/राजकीय प्राधिकरण/औद्योगिक प्राधिकरण/आवास विकास परिषद की दशा में)	संबंधित निगम प्राधिकरण/परिषद का गवर्निंग बोर्ड/प्रबन्ध मण्डल

8- उपरोक्त पस्तर-7 में उल्लिखित सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त क्रय निकाय द्वारा राजस्व अधिकारियों के सहयोग से भू-स्वामी से विक्रय विलेख/बैनामा निष्पादित कराकर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि क्रय की गयी भूमि पर स्थित जिन परिसम्पत्तियों के सापेक्ष मूल्य का भुगतान भू-स्वामी/कृषक को किया गया है, उन्हें समुचित रूप से अभिलिखित करके उसके निस्तारण की कार्यवाही नियमानुसार की जाय तथा समय से भूमि का नामान्तरण क्रय निकाय द्वारा अपने पक्ष में करा लिया जाय।

9- क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य के अनुमोदन होने के पश्चात और अनुमोदित दर बैनामा निष्पादित कराये जाने से पूर्व यदि कलेक्टर द्वारा सर्किल दरों में कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा समिति द्वारा अनुमोदित दर के दिनांक 01 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में दरों का पुनर्निर्धारण समिति द्वारा नये सर्किल रेट को आधार मानकर पुनः किया जायेगा।

10- समिति द्वारा विनिश्चय की गयी दरों एवं कुल भूमि मूल्य के संबंध में सम्बन्धित क्रय करने वाले निकाय की सहमति न होने की दशा में अथवा दरों पर भू-स्वामियों और क्रय करने वाले निकाय के मध्य किसी विवाद अथवा समझौते के अनुपालन को लेकर कोई विन्दु उत्पन्न होता है तो संबंधित "समिति" के समक्ष क्रय निकाय द्वारा तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर समिति द्वारा निर्णय लेकर समाधान किया जायेगा और उपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

11- भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर सीधे भूमि क्रय करने के प्रयास

- 1- यह शास्त्रादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शास्त्रादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://www.apc.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



विफल रहने की दशा में संबंधित विभाग/निकाय/उपक्रम द्वारा अधिनियम 2013, सुसंगत मैनुअल के प्रावधानों और इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं परिषदादेशों के अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

12- चुंकि क्रय की जाने भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य का निर्धारण सभी सुसंगत शासनादेशों एवं नियमों/अधिनियमों का संज्ञान लेते हुए निर्धारित की गयी है। अतः भू-स्वामियों को राजस्व के शासनादेश दिनांक 17-8-2010, 03-09-2010 एवं 02-06-2011 तथा वर्ष 2013 के भू-अर्जन अधिनियम में अनुमन्य पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन लाभ पृथक से अनुमन्य नहीं होंगे।

13- कृपया उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2015/215(1)/एक-13-2015, तददिनांक

पत्तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- (2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा/उपसा एवं यूपीडा, 30प्र0।
- (3) स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

बीरबल सिंह

अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



प्रारूप संख्या-1

भूस्वामी/भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता प्रमाण पत्र।

यह समझौता पत्र आज दिनांक-----वर्ष-----को निम्न भूस्वामी /भूस्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

- (1) -----पुत्र श्री-----अंश-----
- (2) -----पुत्र श्री-----अंश-----
- (3) -----पुत्र श्री-----अंश-----

प्रथम पक्ष (जिसे एतद्वारा "भूस्वामी" कहा गया है) और;
उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल/राज्य सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे-----

(क्रय निकाय का नाम)

द्वितीय पक्ष (जिसे एतद्वारा "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित/निष्पादित किया गया है-

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है,

और चूंकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी।

अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद् द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता / होते हैं:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/ होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://bhaganadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



(3) यह कि यदि कुल भूमि में मूल्य में भुगतान के पश्चात यह प्रकण होता है कि भूमिस्वामी इस समझौता पत्र में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/ के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/ हैं और क्रय निकाय की आरे से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा। और किसी अन्य व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/ राज्य सरकार को (सयुक्त: और पृथक्त:) क्षतिपूर्ति करेगा और उठायी गयी किसी हानि या नुकसान की सभी काचवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या क्रय की गयी धनराशि पर विरुद्ध उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष 9 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर व्याज भुगतान करेगा/ करेंगे।

(4) यदि भूस्वामी पूर्व वर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि: क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/ रहते है। तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिए प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का / देने का पूरा अधिकार होगा।

(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय / अंश / प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध वकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जाएगा।

(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जाएगा, जिसके पंजीकरण/ निबन्धन सम्बन्धी समस्त_शुल्क, जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित होता है. को क्रय निकाय द्वारा व्यय वहन किया जाएगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू- स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जाता है।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र पर को भू-

1- यह शासनदेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



स्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा:-

- (1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है.
- (2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है.
- (3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम
जिला

परगना

तहसील

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हे०मे)	भूमि का विवरण, यदि वह सर्वेक्षण संख्या का भगा हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु०में)
1	2	3	4	5	6	7

भूद्वय अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कालम-7,8,9)	व्यक्ति / व्यक्तियों का / के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु०में)		
8	9	10	11

भूस्वामी/ भूस्वामियों के हस्ताक्षर
के 1-

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत अधिकारी
हस्ताक्षर

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanaदेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

21/10

2-

पूरा नाम

3-

पद नाम

गवाह/ अभिसाक्षी

गवाह/ अभिसाक्षी

1-

1-

2-

2-

9

-
1. यह शासनादेश इनेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://snasandesh.lup.ncl.in> से सत्यापित की जा सकती है ।



एयरपोर्ट अयोध्या की कुल भूमि का विवरण

दिनांक-27.09.2022

परियोजना में सम्मिलित कुल भूमि का क्षेत्रफल-821.3394 एकड़

1. आरक्षित सड़क/बन्द विमान के मान पूर्व से वर्ज भूमि- 182.171 एकड़

2. विस्तारिकरण में अतिरिक्त सम्मिलित की गयी भूमि-639.1684 एकड़

(क) कुल शासकीय भूमे-139.4838 एकड़ (अवध विश्वविद्यालय की भूमि 23.789 एकड़, रेलवे भूमि की भूमि 25.132 एकड़, ग्राम समज की भूमि 90.5035 एकड़, सिविल विभाग की भूमि 0.0593 एकड़)

(ख) कुल निजी भूमि, जो खानेदारों से क्रय किया जाना है-499.6846 एकड़

निजी भूमि का विवरण जिसे खानेदारों की सहमति के आधार पर नागरिक उड्डयन के पक्ष में क्रय किया जाना है-

क्र.सं.	खाने का नाम	सूचना की संख्या निम्न भूमि क्रय की जाती है	क्रय की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	सहमति के आधार पर क्षेत्रफल के संख्या	सहमति के आधार पर क्षेत्रफल (एकड़ में)	पूरकों की संख्या जिनसे क्षेपण अवरोध है	क्रय हेतु अक्षरों की संख्या का क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्रय की जाने वाली कुल भूमि के सापेक्ष क्रय की गयी भूमि का प्रतिशत
1	1	3	212.1482	5	205.09980	7	7.04840	9
2	2	1630	83.9957	1533	72.19860	97	1.179710	96.68
3	3	580	110.6654	476	108.60450	104	2.06090	85.96
4	4	115	11.0617	548	10.59919	3	0.06251	98.14
5	5	231	68.3276	228	64.85330	3	3.47430	99.43
6	6	31	4.2045	31	4.2045	0	0.000	94.92
7	7	61	7.7939	61	7.79390	0	0.000	100.00
8	8	29	1.4876	29	1.48760	0	0.000	100.00
9	9	3235	499.6846	3018	475.24139	217	24.44321	100.00


 सहसचिव
 सदर, अयोध्या





37400.0340 है. 37500.0510 है. 650700.09900 है.
 65100.1010 है. 65200.01900 है. 65300.0380 है.
 65400.0790 है. 65500.11400 है. 65510042/11400 है.
 65600.16400 है. 65800.18600 है. 66300.0690 है.
 66400.1420 है. 66500.0230 है. 66600.0380 है.
 66700.0440 है. 66800.02500 है. कुल 69किता भूखत
 6.811 है (16.904 एकड़) भूमि को आधिकारिक उद्योग
 विभाग के माध्यम से निशुल्क हेतुअनुचित किया गया।
 दि. 20/07/2022

85	0.1140
86	0.11420
87	0.11290
88	0.1390
89	0.1390
97	0.1320
98	0.4360
99	0.1300
100	0.2910
102	0.1320
103	0.1700
104	0.3570
105	0.2510
106	0.2280
107	0.0760
108	0.1830
109	0.1770
110	0.1260
114	0.0690
127	0.1640
128	0.0650
133	0.0350
136	0.1020
137	0.0100
142	0.1010
160	0.2630
161	0.1010
162	0.1260
175	0.1260
176	0.0230
177	0.2210



PP

178	0.0160
200	0.1200
201	0.1870
202	0.0350
203	0.0630
210	0.1300
211	0.2290
212	0.0630
213	0.1020
214	0.0880
217	0.0190
218	0.0330
223	0.0110
224	0.0620
225	0.1360
226	0.0370
227	0.1200
228	0.1670
239	0.0660
250	0.1420
231	0.1810
232	0.0350
233	0.2150
234	0.1030
235	0.0860
236	0.0920
241	0.1670
242	0.0920
243	0.0410
247	0.0380
248	0.1310



OP

249	0.2720
250	0.0280
261	0.1770
262	0.1640
263	0.0870
264	0.0120
265	0.0200
266	0.0090
267	0.0620
268	0.1360
269	0.1420
270	0.1580
271	0.0780
272	0.0370
273	0.1930
274	0.0190
275	0.2050
276	0.0610
277	0.2210
278	0.0190
279	0.3470
280	0.0440
281	0.1030
282	0.1930
291	0.2500
292	0.0730
293	0.1200
295	0.0860
301	0.0820
302	0.3670
303	0.2280



Handwritten signature

305	0.3160
308	0.2250
314	0.1740
315	0.1770
316	0.1150
317	0.2050
318	0.2530
319	0.0900
369	0.0100
373	0.0160
374	0.0540
375	0.0510
426	0.0695
622	0.0530
650	0.1290
651	0.1010
652	0.0190
653	0.0380
654	0.0790
655	0.1140
656	0.1640
658	0.1860
663	0.0690
664	0.1420
666	0.0380
665	0.0230
667	0.0440
668	0.0250
432	0.6005
655/1042	0.1140
54	0.1010




Handwritten signature or initials.

122मि.	0.0444
123मि.	0.0120
124मि.	0.0528
135मि.	0.0384
141मि.	0.0072
43मि.	0.0621

149 17.4015 20.00

कुल भू.राजस्व - भू.ग दायमत्व भू.ग भू.ग रुपये


Data Digitally Signed by: RAJARAM



upbhu.ekh.gov.in - Adobe PDF Signature



P



उद्धरण खातीनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1663412022103

ग्राम क्रमांक : 166341 ग्राम का नाम : परगना : गंजा(हवेली) अण्डा

खातेदार का नाम / पिता पति/सहकार का नाम / निवास स्थान

कमाली वर्ष : 1429-1431 (01 जुलाई, 2021 से 01 जून, 2027) भाग : 1

परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या दस्तावेज का संख्या और दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद

खातेदार द्वारा देय गालगुजारी या तगान

प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)

खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या

तारीख : गदर

भौतिक अधिकार परामर्श होने का वर्ष

3 4 5 6

13

00482 तालाब / गंजा

अधिकृत भूमि, जलवायु भूमि :



142000 का रजिस्ट्रार ऑफिस में दर्ज है।
 1254 डीएलआरसी को परिवर्तन हेतु 01/07/2021
 दिनांक 18 अक्टूबर 2020 को अन्तर्गत आसनादेव संख्या
 744 एक 2016-2017 में 142000 अण्डा
 1-तलमक दिनांक 01/07/2016 पर आसनादेव संख्या
 689 एक 1-2020-2021 2016 संख्या अण्डा
 1-तलमक दिनांक 06/07/2021 प्रस्तर 3 में की
 गयी व्यवस्था के अनुसार उप प्र संख्या सहित 2000-को
 धारा 77 से आस्थापित भूमि की भूमियों के क्षेत्र
 परिवर्तन की जानकारी करती है। आसनादेव संख्या
 655 एक 1-2020-2021 2016 तलमक दिनांक
 06/07/2021 में निम्न प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम
 गंजा को गाटा संख्या 1480 140हे, 155क
 0624हे 681क मि 0.046हे इन्च के खाते से निराल
 होकर गाटा संख्या 1480 140हे 155क 0.626हे व
 681क मि 0.046हे इन्च के खाते में तथा गाटा
 संख्या 1480 140हे 155क परती क खाते में दर्ज है।
 ह.रा.मि.का. 02/07/2021

172

799/1041स	0.5590				
15	6.1180	₹ 0.00			0
कुल गाटा - एक पाँच कुल क्षेत्रफल - छ. दशमलव एक एक आठ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-सम्पत्ति - शून्य दशमलव शून्य शून्य रूपये					

Firefox

Data Digitally Signed by: RAJA RAM

ଅନୁମତି ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଉଛି ଏହି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଟେ ।



ନିର୍ବାଚନ ଆୟତନ
ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ
ଅଧିକାଂଶ ସୂଚନା ପାଇଁ
ଏହି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା
ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଟେ ।

https://opphulekh.gov.in/bhulekh_login/app/techsil/report_user/ROIR

0 10 10 2022 11 00 31
0 10 10 2022 11 00 31
0 10 10 2022 11 00 31



172
8

8

10 10 2022

10 10 2022

उद्धरण खतोनी (यासक्तीप)

ग्राम क्रमांक : 166341
 खाता क्रमांक : 166341/01 बुलाई, 2021 से 30 जून, 2021
 खतोनी नाम : गंगा(खतोनी अताडा)
 स्थान : खतोनी
 कर्मचारी नाम : विना पति सरक्षक का नाम / विवारा
 संख्या : 1

उद्धरण क्रमांक : 166341/2021/032
 फरती वर्ष : 1429-1431 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2021) भाग : 1
 पत्रिर्कृत मन्वरी आज्ञा या उम्का माग्य
 उम्की संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने
 वाले अधिकारी का पद
 रिपण्णी

वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
1	2	3	4	5	6
190मि.	338	349क	356	358	361
00455	बाहा // गंजा				
श्रेणी : 6.1 - अकृषिक भूमि - जलमय भूमि ।					
129फ कार्यालय जिलाधिकारी अपोष्या अदेश संख्या 1234/डीएलआरसी/श्रेणी परिवर्तन-हवाईपट्टी /2021 दिनांक 28जून 2021के अन्तर्गत यासनादेश संख्या 114एक/2016-20(3) 2016राजस्व अनुभाग 689एक/1-2020-20(3) 2016 एव यासनादेश संख्या 1-लखनऊ दिनांक 05जून 2016 राजस्व अनुभाग 689एक/1-2020-20(3) 2016 राजस्व अनुभाग 688एक/1-2020-20(3) 2016 लखनऊ दिनांक 06जुलाई 2020के प्रस्तर 3मी दी धारा 77से आच्छादित श्रेणी की भूमि का श्रेणी परिवर्तन की कार्यवाही करते हुए अधिलेखना संख्या 06जुलाई 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गंगा गंजा की गाटा संख्या 692/0 120हे बाहा के खाते से निरस्त लेकर बजर के खाते में दर्ज हो।					



(Handwritten mark)

129फ कार्यालय जिलाधिकारी अपोष्या संख्या 109 मुद्रण संख्या 27,12-2021 आदेश आसनादेश संख्या 144एक/1-2016-20(3) 2016राजस्व अनुभाग 1-लखनऊ दिनांक 03जून 2016का आदेशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व-संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8अन 2012) की धारा 199की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली

2016के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शारकीय अधिसूचना संख्या -740/एक-1-2016-20(5)/2016खखनऊ दिनांक 03जून 2016 व शारनादेश संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016दिनांक 6जुलाई 2020 व शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 6जुलाई 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारी का प्रयोग करते हुए मैं नितीश कुमार जिलाधिकारी अयोध्या संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को अब तक उपरोक्त दिनांक 03जून 2016के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत गंजा की वंजर गाटा संख्या 692/0.120हे भूमि राजकीय हवाई पट्टी विस्तारीकरण हेतु पुनर्हीत की गई। ह रा नि.का/14.01.2022



1429क सशोधित अमरपुरमंडल-काबलियत जिलाधिकारी अयोध्या संख्या 109/पुनर्हीत गंजा 2021 दिनांक 27.12.2021 आदेश शासनादेश संख्या -744/एक-1-2016-20(5)/2016खखनऊ अनुभाग -1खखनऊ दिनांक 03जून 2016का आशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व- सहित 2000-59की उपधारा (1) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शारकीय अधिसूचना संख्या -740/एक-1-2016-20(5)/2016खखनऊ दिनांक 03जून 2016 व शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016दिनांक 6जुलाई 2020 व शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 6जुलाई 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारी का प्रयोग करते हुए मैं नितीश कुमार जिलाधिकारी अयोध्या संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को अब तक उपरोक्त दिनांक 03जून 2016के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत गंजा की वंजर गाटा संख्या 692/0.120हे भूमि राजकीय हवाई पट्टी विस्तारीकरण हेतु नागरिक सडुपन के पक्ष में पुनर्हीत की गई। ह रा नि.का/16.01.2022

कुल गाटे- एक दो कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव सात तीन शून्य शून्य (हैक्टॉर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपय

12 0.7300 ₹ 0.00 3 0

http://upbhulekh.gov.in/bhulekh_login.aspx?hsid/repon_user/ROR



सदम अधिकारी: RAKESH
सहसिक: 827 जयपुर अर्धरा
दिनांक एवं समय: 19/10/2022 11:10:35
0 यह उद्देश्य के लिए डिजिटल सिस्टम द्वारा बनाई गई तथा उदा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा
हस्ताक्षरित है।

Data Digitally Signed by: RAJES RAM

उपरोक्त दस्तावेज खोजी जा रहे हैं/उपरोक्त दस्तावेज http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।



10/10/2022

Handwritten signature



उद्धरण खतीनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 166341202210529

ग्राम क्रमांक : 166341 ग्राम का नाम / परगना : गंजा(हवेली अवध)

खाता खतीनी क्रम संख्या : खतेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान

फरती वर्ष : 129-143100 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027 भाग : 1

खतेदार द्वारा देय मातंगुजारी का लगान प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)

परिवर्तन सम्वन्धी आक्षेपों का उन्की संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद

श्रेणी : 1-क सुले जो सहाय्य भुगतान के अधिकार में है।

महकाई नम्बर : गंजा



खते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	जनपद : अपोध्या	तहसील : सदर	खतेदार द्वारा देय मातंगुजारी का लगान	परिवर्तन सम्वन्धी आक्षेपों का उन्की संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद
1379	372	0.3680	सदर	12.50	1379 के खतेदार (हवेलीदार) व्यक्ति काट से 9867/2020/2022/581 का क 13.08.2022 आदेश द्वारा खतेदार के खसरे का क्षेत्रफल 0.3980 से परिवर्तन करके 0.3680 से किया गया है। 30 रुपये से अधिक क्षेत्रफल मुद्रागत निवासी ग्राम-गंजा परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला अपोध्या का नाम निरस्त करके केत-निदेशक नागरिक उद्युपन द्वारा श्री रा-न्यापत उत्तर प्रदेश का नाम द्वारा बेगमा दिनांक 29.05.2022 के आधार पर बतौर 10000 टर्ज है। ई रा-निका/19.09.2022
850	850	0.0180	सदर	0.3860	850 के खतेदार (हवेलीदार) व्यक्ति काट से 9867/2020/2022/581 का क 13.08.2022 आदेश द्वारा खतेदार के खसरे का क्षेत्रफल 0.0180 से परिवर्तन करके 0.0180 से किया गया है। 30 रुपये से अधिक क्षेत्रफल मुद्रागत निवासी ग्राम-गंजा परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला अपोध्या का नाम निरस्त करके केत-निदेशक नागरिक उद्युपन द्वारा श्री रा-न्यापत उत्तर प्रदेश का नाम द्वारा बेगमा दिनांक 29.05.2022 के आधार पर बतौर 10000 टर्ज है। ई रा-निका/19.09.2022

कुल गाटे: दो कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव तीन आठ रु: शून्य (हवेलीदार) कुल भू राजस्व - एक दो दशमलव पाँच शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: RAJA RAM

उपरोक्त उद्धरण खतीनी ई-संकेतनाम <https://opendatakh.gov.in/Website> पर जाकर किया जा सकता है।



सदम अधिकारी: RAKESH तहसील: सदर जनपद: अपोध्या दिनांक एवं समय: 19.10.2022 11:23:53

0 पर उद्धरण खतीनी के सुविधायी सिस्टम द्वारा जांच की गयी है तथा खता डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित है।

सर्वेक्षण और मापन 15/11/2022

श्री राजेश प्रताप सिंह

उद्धरण खतीनी (व्यासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 166341/2022/10534

ग्राम क्रमांक : 166341 ग्राम का नाम : परगना : गजा(हलेसी अवध)
 खतीनी खतेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास
 क्रम रघुनाथ
 सख्या खतेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास
 सख्या रघुनाथ

तहसील : रावर जनपद : अयोध्या जयंती वर्ष : 11/9/1134 (01 जुलाई, 2021 से 09 जून, 2027) भाग : 1
 भौतिक खाते के प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)
 अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष खसरा सख्या

3	1	5	0	112
1379	357	0.3210		
1379	712	0.9400		
1379	670	0.1490		

श्रेणी : 1.क. कृषि आ सजावटीय भूमि पर कर अधिकार से हो।
 दुर्गादीन / रामआसरे / नि. राम
 रामशंकर / रामसुन्दर / नि. राम
 करण / रामशंकर / नि. राम
 रामसुभर / राम मिलन / नि. राम
 बेदरादेवी / राम मिलन / नि. राम



कुल गाटे तीन कुल क्षेत्रफल एक हजार एक चार शून्य आठ शून्य (हैक्टर) कुल भूराजस्व भूजो दरियामत से प्राप्त रूपे 1.4080 ₹ 52.25 0

कुल गाटे तीन कुल क्षेत्रफल एक हजार एक चार शून्य आठ शून्य (हैक्टर) कुल भूराजस्व भूजो दरियामत से प्राप्त रूपे 1.4080 ₹ 52.25 0
 Data Digitally Signed by: RAJA RAM
 उपरोक्त उद्धरण खतीनी का सहीत करण कर https://panadekh.gov.in/Website पर जाकर किया जा सकता है।

सदम अधिकारी: RAJESH
 तहसील: रावर जनपद: अयोध्या
 दिनांक एवं समय: 19-10-2022 सुबह 13:38:55
 0-16 उद्धरण खतीनी हस्तक्षेपिक डिजिटली सिग्नेचर के साथ सत्यापित डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।
 सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
 01/10/2022



उद्धरण खतीनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1665/11207/1033

ग्राम क्रमांक : 1665/11 ग्राम का नाम / परगना : गजाहलेती अवध) तहसील : सदर जनपद : अयोध्या परसती वर्ष : 1429-1431 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) पृष्ठ : 1

खाता खतीनी स्थापना खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास प्रत्येक गाटे के प्रत्येक गाटे की खसरा (हे.) सख्या खतीनी द्वारा देय मातृगुजरी या लगान वाते अधिकारी का पद परसती वर्ष : 1429-1431 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) पृष्ठ : 1

1 2 3 4 5 6 7-12 13

श्रेणी : 1. कृषि भूमि जो संकमणीय गृहस्थों के अधिकार में हो।

00210 भेडी तांवा / राम फत किरोजपुर 386 0.3470

दयाराम / रामदुझावन करिय विवाहों वह. लोकपुर

कुल गाटे संख्या : कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव तीन बार सात शून्य (हैक्टर) कुल भू राजस्व : छ. दशमलव पाँच पाँच रुपये

1 0.3470 ₹ 6.55 0

11

Data Digitally Signed by: RAJA RAM



सदर अधिकारी: RAKESH

तहसील: सदर जनपद: अयोध्या

दिनांक एवं समय: 19-10-2022 11:43:48

0 यह प्रमाण खतीनी संस्थापित डिजिटली सिग्नेचर द्वारा ही ही प्रमाणित है।



1

उद्धरण खतोनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 166/39/2022/10122

ग्राम क्रमांक : 166/39 ग्राम का नाम / परगना : पूरा हुसेन खां(हवेली अवध)

खतोनी स्थान : खतोदार का नाम / पिता पति सरक्षक का नाम / निवास स्थान

क्रमांक : 166/39/2022/10122 फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भूमि : 1

खतोदार द्वारा परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उत्तका सारंग्य

देव मातागुजरी उन्की संख्या तथा दिनांक सहित और आगो देने

या लगान वाते आधिकारी का पद

शेरी : 6.2 1.3 2.3 3.1 4.2 5.1 6.2 7.1 8.2 9.1 10.2 11.3 12.4 13.5 14.6 15.7 16.8 17.9 18.10 19.11 20.12 21.13 22.14 23.15 24.16 25.17 26.18 27.19 28.20 29.21 30.22 31.23 32.24 33.25 34.26 35.27 36.28 37.29 38.30 39.31 40.32 41.33 42.34 43.35 44.36 45.37 46.38 47.39 48.40 49.41 50.42 51.43 52.44 53.45 54.46 55.47 56.48 57.49 58.50 59.51 60.52 61.53 62.54 63.55 64.56 65.57 66.58 67.59 68.60 69.61 70.62 71.63 72.64 73.65 74.66 75.67 76.68 77.69 78.70 79.71 80.72 81.73 82.74 83.75 84.76 85.77 86.78 87.79 88.80 89.81 90.82 91.83 92.84 93.85 94.86 95.87 96.88 97.89 98.90 99.91 100.92 101.93 102.94 103.95 104.96 105.97 106.98 107.99 108.100 109.101 110.102 111.103 112.104 113.105 114.106 115.107 116.108 117.109 118.110 119.111 120.112 121.113 122.114 123.115 124.116 125.117 126.118 127.119 128.120 129.121 130.122 131.123 132.124 133.125 134.126 135.127 136.128 137.129 138.130 139.131 140.132 141.133 142.134 143.135 144.136 145.137 146.138 147.139 148.140 149.141 150.142 151.143 152.144 153.145 154.146 155.147 156.148 157.149 158.150 159.151 160.152 161.153 162.154 163.155 164.156 165.157 166.158 167.159 168.160 169.161 170.162 171.163 172.164 173.165 174.166 175.167 176.168 177.169 178.170 179.171 180.172 181.173 182.174 183.175 184.176 185.177 186.178 187.179 188.180 189.181 190.182 191.183 192.184 193.185 194.186 195.187 196.188 197.189 198.190 199.191 200.192 201.193 202.194 203.195 204.196 205.197 206.198 207.199 208.200 209.201 210.202 211.203 212.204 213.205 214.206 215.207 216.208 217.209 218.210 219.211 220.212 221.213 222.214 223.215 224.216 225.217 226.218 227.219 228.220 229.221 230.222 231.223 232.224 233.225 234.226 235.227 236.228 237.229 238.230 239.231 240.232 241.233 242.234 243.235 244.236 245.237 246.238 247.239 248.240 249.241 250.242 251.243 252.244 253.245 254.246 255.247 256.248 257.249 258.250 259.251 260.252 261.253 262.254 263.255 264.256 265.257 266.258 267.259 268.260 269.261 270.262 271.263 272.264 273.265 274.266 275.267 276.268 277.269 278.270 279.271 280.272 281.273 282.274 283.275 284.276 285.277 286.278 287.279 288.280 289.281 290.282 291.283 292.284 293.285 294.286 295.287 296.288 297.289 298.290 299.291 300.292 301.293 302.294 303.295 304.296 305.297 306.298 307.299 308.300 309.301 310.302 311.303 312.304 313.305 314.306 315.307 316.308 317.309 318.310 319.311 320.312 321.313 322.314 323.315 324.316 325.317 326.318 327.319 328.320 329.321 330.322 331.323 332.324 333.325 334.326 335.327 336.328 337.329 338.330 339.331 340.332 341.333 342.334 343.335 344.336 345.337 346.338 347.339 348.340 349.341 350.342 351.343 352.344 353.345 354.346 355.347 356.348 357.349 358.350 359.351 360.352 361.353 362.354 363.355 364.356 365.357 366.358 367.359 368.360 369.361 370.362 371.363 372.364 373.365 374.366 375.367 376.368 377.369 378.370 379.371 380.372 381.373 382.374 383.375 384.376 385.377 386.378 387.379 388.380 389.381 390.382 391.383 392.384 393.385 394.386 395.387 396.388 397.389 398.390 399.391 400.392 401.393 402.394 403.395 404.396 405.397 406.398 407.399 408.400 409.401 410.402 411.403 412.404 413.405 414.406 415.407 416.408 417.409 418.410 419.411 420.412 421.413 422.414 423.415 424.416 425.417 426.418 427.419 428.420 429.421 430.422 431.423 432.424 433.425 434.426 435.427 436.428 437.429 438.430 439.431 440.432 441.433 442.434 443.435 444.436 445.437 446.438 447.439 448.440 449.441 450.442 451.443 452.444 453.445 454.446 455.447 456.448 457.449 458.450 459.451 460.452 461.453 462.454 463.455 464.456 465.457 466.458 467.459 468.460 469.461 470.462 471.463 472.464 473.465 474.466 475.467 476.468 477.469 478.470 479.471 480.472 481.473 482.474 483.475 484.476 485.477 486.478 487.479 488.480 489.481 490.482 491.483 492.484 493.485 494.486 495.487 496.488 497.489 498.490 499.491 500.492 501.493 502.494 503.495 504.496 505.497 506.498 507.499 508.500 509.501 510.502 511.503 512.504 513.505 514.506 515.507 516.508 517.509 518.510 519.511 520.512 521.513 522.514 523.515 524.516 525.517 526.518 527.519 528.520 529.521 530.522 531.523 532.524 533.525 534.526 535.527 536.528 537.529 538.530 539.531 540.532 541.533 542.534 543.535 544.536 545.537 546.538 547.539 548.540 549.541 550.542 551.543 552.544 553.545 554.546 555.547 556.548 557.549 558.550 559.551 560.552 561.553 562.554 563.555 564.556 565.557 566.558 567.559 568.560 569.561 570.562 571.563 572.564 573.565 574.566 575.567 576.568 577.569 578.570 579.571 580.572 581.573 582.574 583.575 584.576 585.577 586.578 587.579 588.580 589.581 590.582 591.583 592.584 593.585 594.586 595.587 596.588 597.589 598.590 599.591 600.592 601.593 602.594 603.595 604.596 605.597 606.598 607.599 608.600 609.601 610.602 611.603 612.604 613.605 614.606 615.607 616.608 617.609 618.610 619.611 620.612 621.613 622.614 623.615 624.616 625.617 626.618 627.619 628.620 629.621 630.622 631.623 632.624 633.625 634.626 635.627 636.628 637.629 638.630 639.631 640.632 641.633 642.634 643.635 644.636 645.637 646.638 647.639 648.640 649.641 650.642 651.643 652.644 653.645 654.646 655.647 656.648 657.649 658.650 659.651 660.652 661.653 662.654 663.655 664.656 665.657 666.658 667.659 668.660 669.661 670.662 671.663 672.664 673.665 674.666 675.667 676.668 677.669 678.670 679.671 680.672 681.673 682.674 683.675 684.676 685.677 686.678 687.679 688.680 689.681 690.682 691.683 692.684 693.685 694.686 695.687 696.688 697.689 698.690 699.691 700.692 701.693 702.694 703.695 704.696 705.697 706.698 707.699 708.700 709.701 710.702 711.703 712.704 713.705 714.706 715.707 716.708 717.709 718.710 719.711 720.712 721.713 722.714 723.715 724.716 725.717 726.718 727.719 728.720 729.721 730.722 731.723 732.724 733.725 734.726 735.727 736.728 737.729 738.730 739.731 740.732 741.733 742.734 743.735 744.736 745.737 746.738 747.739 748.740 749.741 750.742 751.743 752.744 753.745 754.746 755.747 756.748 757.749 758.750 759.751 760.752 761.753 762.754 763.755 764.756 765.757 766.758 767.759 768.760 769.761 770.762 771.763 772.764 773.765 774.766 775.767 776.768 777.769 778.770 779.771 780.772 781.773 782.774 783.775 784.776 785.777 786.778 787.779 788.780 789.781 790.782 791.783 792.784 793.785 794.786 795.787 796.788 797.789 798.790 799.791 800.792 801.793 802.794 803.795 804.796 805.797 806.798 807.799 808.800 809.801 810.802 811.803 812.804 813.805 814.806 815.807 816.808 817.809 818.810 819.811 820.812 821.813 822.814 823.815 824.816 825.817 826.818 827.819 828.820 829.821 830.822 831.823 832.824 833.825 834.826 835.827 836.828 837.829 838.830 839.831 840.832 841.833 842.834 843.835 844.836 845.837 846.838 847.839 848.840 849.841 850.842 851.843 852.844 853.845 854.846 855.847 856.848 857.849 858.850 859.851 860.852 861.853 862.854 863.855 864.856 865.857 866.858 867.859 868.860 869.861 870.862 871.863 872.864 873.865 874.866 875.867 876.868 877.869 878.870 879.871 880.872 881.873 882.874 883.875 884.876 885.877 886.878 887.879 888.880 889.881 890.882 891.883 892.884 893.885 894.886 895.887 896.888 897.889 898.890 899.891 900.892 901.893 902.894 903.895 904.896 905.897 906.898 907.899 908.900 909.901 910.902 911.903 912.904 913.905 914.906 915.907 916.908 917.909 918.910 919.911 920.912 921.913 922.914 923.915 924.916 925.917 926.918 927.919 928.920 929.921 930.922 931.923 932.924 933.925 934.926 935.927 936.928 937.929 938.930 939.931 940.932 941.933 942.934 943.935 944.936 945.937 946.938 947.939 948.940 949.941 950.942 951.943 952.944 953.945 954.946 955.947 956.948 957.949 958.950 959.951 960.952 961.953 962.954 963.955 964.956 965.957 966.958 967.959 968.960 969.961 970.962 971.963 972.964 973.965 974.966 975.967 976.968 977.969 978.970 979.971 980.972 981.973 982.974 983.975 984.976 985.977 986.978 987.979 988.980 989.981 990.982 991.983 992.984 993.985 994.986 995.987 996.988 997.989 998.990 999.991 1000.992 1001.993 1002.994 1003.995 1004.996 1005.997 1006.998 1007.999 1008.1000 1009.1001 1010.1002 1011.1003 1012.1004 1013.1005 1014.1006 1015.1007 1016.1008 1017.1009 1018.1010 1019.1011 1020.1012 1021.1013 1022.1014 1023.1015 1024.1016 1025.1017 1026.1018 1027.1019 1028.1020 1029.1021 1030.1022 1031.1023 1032.1024 1033.1025 1034.1026 1035.1027 1036.1028 1037.1029 1038.1030 1039.1031 1040.1032 1041.1033 1042.1034 1043.1035 1044.1036 1045.1037 1046.1038 1047.1039 1048.1040 1049.1041 1050.1042 1051.1043 1052.1044 1053.1045 1054.1046 1055.1047 1056.1048 1057.1049 1058.1050 1059.1051 1060.1052 1061.1053 1062.1054 1063.1055 1064.1056 1065.1057 1066.1058 1067.1059 1068.1060 1069.1061 1070.1062 1071.1063 1072.1064 1073.1065 1074.1066 1075.1067 1076.1068 1077.1069 1078.1070 1079.1071 1080.1072 1081.1073 1082.1074 1083.1075 1084.1076 1085.1077 1086.1078 1087.1079 1088.1080 1089.1081 1090.1082 1091.1083 1092.1084 1093.1085 1094.1086 1095.1087 1096.1088 1097.1089 1098.1090 1099.1091 1100.1092 1101.1093 1102.1094 1103.1095 1104.1096 1105.1097 1106.1098 1107.1099 1108.1100 1109.1101 1110.1102 1111.1103 1112.1104 1113.1105 1114.1106 1115.1107 1116.1108 1117.1109 1118.1110 1119.1111 1120.1112 1121.1113 1122.1114 1123.1115 1124.1116 1125.1117 1126.1118 1127.1119 1128.1120 1129.1121 1130.1122 1131.1123 1132.1124 1133.1125 1134.1126 1135.1127 1136.1128 1137.1129 1138.1130 1139.1131 1140.1132 1141.1133 1142.1134 1143.1135 1144.1136 1145.1137 1146.1138 1147.1139 1148.1140 1149.1141 1150.1142 1151.1143 1152.1144 1153.1145 1154.1146 1155.1147 1156.1148 1157.1149 1158.1150 1159.1151 1160.1152 1161.1153 1162.1154 1163.1155 1164.1156 1165.1157 1166.1158 1167.1159 1168.1160 1169.1161 1170.1162 1171.1163 1172.1164 1173.1165 1174.1166 1175.1167 1176.1168 1177.1169 1178.1170 1179.1171 1180.1172 1181.1173 1182.1174 1183.1175 1184.1176 1185.1177 1186.1178 1187.1179 1188.1180 1189.1181 1190.1182 1191.1183 1192.1184 1193.1185 1194.1186 1195.1187 1196.1188 1197.1189 1198.1190 1199.1191 1200.1192 1201.1193 1202.1194 1203.1195 1204.1196 1205.1197 1206.1198 1207.1199 1208.1200 1209.1201 1210.1202 1211.1203 1212.1204 1213.1205 1214.1206 1215.1207 1216.1208 1217.1209 1218.1210 1219.1211 1220.1212 1221.1213 1222.1214 1223.1215 1224.1216 1225.1217 1226.1218 1227.1219 1228.1220 1229.1221 1230.1222 1231.1223 1232.1224 1233.1225 1234.1226 1235.1227 1236.1228 1237.1229 1238.1230 1239.1231 1240.1232 1241.1233 1242.1234 1243.1235 1244.1236 1245.1237 1246.1238 1247.1239 1248.1240 1249.1241 1250.1242 1251.1243 1252.1244 1253.1245 1254.1246 1255.1247 1256.1248 1257.1249 1258.1250 1259.1251 1260.1252 1261.1253 1262.1254 1263.1255 1264.1256 1265.1257 1266.1258 1267.1259 1268.1260 1269.1261 1270.1262 1271.1263 1272.1264 1273.1265 1274.1266 1275.1267 1276.1268 1277.1269 1278.1270 1279.1271 1280.1272 1281.1273 1282.1274 1283.1275 1284.1276 1285.1277 1286.1278 1287.1279 1288.1280 1289.1281 1290.1282 1291.1283 1292.1284 1293.1285 1294.1286 1295.1287 1296.1288 1297.1289 1298.1290 1299.1291 1300.1292 1301.1293 1302.1294 1303.1295 1304.1296 1305.1297 1306.1298 1307.1299 1308.1300 1309.1301 1310.1302 1311.1303 1312.1304 1313.1305 1314.1306 1315.1307 1316.1308 1317.1309 1318.1310 1319.1311 1320.1312 1321.1313 1322.1314 1323.1315 1324.1316 1325.1317 1326.1318 1327.1319 1328.1320 1329.1321 1330.1322 1331.1323 1332.1324 1333.1325 1334.1326 1335.1327 1336.1328 1337.1329 1338.1330 1339.1331 1340.1332 1341.1333 1342.1334 1343.1335 1344.1336 1345.1337 1346.1338 1347.1339 1348.1340 1349.1341 1350.1342 1351.1343 1352.1344 1353.1345 1354.1346 1355.1347 1356.1348 1357.1349 1358.1350 1359.1351 1360.1352 1361.1353 1362.1354 1363.1355 1364.1356 1365.1357 1366.1358 1367.1359 1368.1360 1369.1361 1370.1362 1371.1363 1372.1364 1373.1365 1374.1366 1375.1367 1376.1368 1377.1369 1378.1370 1379.1371 1380.1372 1381.1373 1382.1374 1383.1375 1384.1376 1385.1377 1386.1378 1387.1379 1388.1380 1389.1381 1390.1382 1391.1383 1392.1384 1393.1385 1394.1386 1395.1387 1396.1388 13

189	0.1310
190	0.1270
193	0.2920
200	0.2270
201	0.1070
202	0.2610
203	0.2690
204	0.3290
205	0.3670
206	0.0510
219	0.0220
220	0.0080
221	0.0060
222	0.0090
223	0.0510
224	0.0370
225	0.0380
226	0.0140
227	0.0230
228	0.1260
229	0.0630
230	0.0950
231	0.0310
232	0.0820
233	0.0630
234	0.0820
235	0.0090
242	0.0090
247	0.3100
248	0.0190
249	0.1260



Handwritten signature or initials.

7. 2/2/20

10.10.2017 11:17

350	0.0340
351	0.0340
354	0.2530
356	0.2450
357	0.0380
358	0.0580
360	0.0660
361	0.1180
362	0.1900
365	0.0080
366	0.1700
368	0.2220
370	0.0380
329	0.1260
330	0.0690
331	0.0630
332	0.0950
333	0.0820
334	0.0440
335	0.1320
336	0.1010
344	0.0130
345	0.0380
450	0.0470
496	0.0510
499	0.0170
500	0.1740
501	0.0570
502	0.0670
503	0.1390
504	0.0380



Handwritten signature or initials.

638	0.1050
641	0.1450
642	0.3150
643	0.0790
644	0.0170
645	0.0810
646	0.0570
647	0.0890
650	0.0150

152 17.0980 ₹ 0.00 1 0


कुल राशि: ₹ 0.00

Data Digitally Signed by: RAJA RAM

उपरोक्त उद्घरण हस्ताक्षरित है।



संकेत: RAJA RAM
दिनांक एवं समय: 19-10-2024 17:05
0 यह उद्घरण हस्ताक्षरित है।



उत्तरण खतोनी (शासकीय)

ग्राम क्रमांक : 160239 ग्राम का नाम : परगना : पूरा हुसेन खां (हवेली अवध)
 खतोनी का नाम : पित्त मटि सरखक का नाम : निवातः
 स्थान : भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष

उत्तरण क्रमांक : 16659202210123
 फसली वर्ष : 1427-1428 (01 जुलाई 2019 से 30 जून 2025) भाग : 1
 परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका मारग्य उनकी संख्या तथा दिनांक नसिल और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद

श्रेणी : 1.क : भूमि जो सक्रमणोग्य भूमिधरो के अधिकार में हो।	1	2	3	4	5	6	7
खतोनी क्रम संख्या	खतोनी संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	जनपट अयोग्यता	तहसील : सदर	खतो. सं. प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	पर्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	अयोग्यता
00144	1404	0.0250	बेवूलात / झगरू / नि. ग्राम	खतो. सं. प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	157	0.0250	खतो. सं. प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)
	1378	0.0960	जोखूलात / झगरू / नि. ग्राम		169	0.0960	देव माता/जारी या तगात
	1378	0.1560	रामदीन / झगरू / नि. ग्राम		497	0.1560	



184

1429क सति नगर द्वारा दिनांक-11.09.2021 आदेश 3/भा.अ.क. श्रुतिक बेवू. तात पूरा झगरू के स्थान पर सौंपी जाते हैं। बेवूलात व अतित कुमार, बुजैय कुमार, कि. देवी, कुमार, पुर्णमा बेवूलात व रीना कुमारी पुत्री बेवूलात निवासी पूरा हुसेन खां का नाम बराबतन दर्ज हो। दिनांक-20.02.2001 निरस्त करते हुए आदेश क्रिया जाता है कि उक्त खतो संख्या-67 पर अंकित मूलक झगरू पुत्र छेदी निवासी-पूरा हुसेन खां परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला अयोध्या के सम्बन्ध में राजस्व निरीक्षक नगर द्वारा पारित वरासत आदेश दिनांक-20.02.2001 निरस्त करते हुए आदेश क्रिया जाता है कि उक्त खतो संख्या-67 पर अंकित मूलक झगरू पुत्र छेदी निवासी-पूरा हुसेन खां परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके उनके स्थान पर उनके जापज वारिसान बेवूलात व सबीय कुमार व रामदीन पुर्णमा झगरू निवासी-पूरा हुसेन खां परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला अयोध्या का नाम बराबतन दर्ज हो। तबकम में उक्त ग्राम की वर्तमान खतोनी सन् 1427 से 1432 फसली की

1429क न्यायालय नायब तहसीलदार अयोध्या बट 1/775/1/20210423/1017968

ता. 06.10.2021 आदेश हुआ कि ग्राम पूरा हुसेन खां परगना हवेली अवध के खतोनी सन् 1408 से 1414 फसली खतो संख्या-67 पर अंकित मूलक खतोदार झगरू पुत्र छेदी निवासी-पूरा हुसेन खां परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला अयोध्या के सम्बन्ध में राजस्व निरीक्षक नगर द्वारा पारित वरासत आदेश दिनांक-20.02.2001 निरस्त करते हुए आदेश क्रिया जाता है कि उक्त खतो संख्या-67 पर अंकित मूलक झगरू पुत्र छेदी निवासी-पूरा हुसेन खां परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके उनके स्थान पर उनके जापज वारिसान बेवूलात व सबीय कुमार व रामदीन पुर्णमा झगरू निवासी-पूरा हुसेन खां परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला अयोध्या का नाम बराबतन दर्ज हो। तबकम में उक्त ग्राम की वर्तमान खतोनी सन् 1427 से 1432 फसली की

उद्धरण खतोनी (शासकीय)

ग्राम क्रमांक : 160374 जम का नाम परगना आशापुर(खोली अवध) तहसील : सदर जनपद : अयोध्या फसली वर्ष 134-147/00 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2022 भाग : 1
 खतोली खतोली स्वामि खतोली स्वामि स्थिति : अधिकार अधिकार पारम्परिक का वर्ष खतोली स्वामि का वर्ष प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) खातेदार द्वारा देय मातृजन्मी या तगान वाते अधिकारी का पद परिचयन नम्बरी अज्ञा या उसका सातवा उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और अज्ञा देने वाते अधिकारी का पद

श्रेणी : 6-1 / अकृषिक भूगो . जलमय भूमि .
 00360 नाला / 1



116	0.1110	5	6	7-12
121ख	0.0450			
137	0.0250			
138	0.1560			
230	0.0060			
232	0.0950			
235	0.0080			
238	0.0210			
262	0.0570			
445	0.0380			
10	0.5620			

कुल गाटे- एक शून्य कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव पांच छ. दो शून्य (हैक्टर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रूप्य

Data Digitally Signed by: Prem Chandra Singh

उपरोक्त उद्धरण खतोनी का वेबसिफिकेशन <http://upbhulekh.gov.in> पर जाकर किया जा सकता है।

सदम अधिकारी: RAKESH तहसील: सदर जनपद: अयोध्या दिनांक एवं समय: 19-10-2022 11:19:10
 0 पर उद्धरण खतोनी इलेक्ट्रॉनिक प्रिन्टींग सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा उक्त सिस्टम द्वारा हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

उद्धरण खतोनी (शासकीय)


ग्राम क्रमांक : 220173 ग्राम का नाम परभनी तालुका सिरसा जयसिंह हवेली अवध, तहसील : सदर जन्मपद : अयोध्या 0847ण क्रमांक : 220173-143-143-001 जुलाई 2019 से 30 जून 2025

खातोनी खातोनी स्थान खातदार का नाम विद्या प्रति सरक्षक का नाम निवास परिवर्तन संख्या परिवर्तन संख्या आशु का संख्या का संख्या टिकपनी

श्रेणी : 00337 अंकित : 31/10 तालुका सिरसा उर्फ जय

1	2	3	4	5	6	7-12	13
06			प्रत्येक गाटे के खतोके प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतदार द्वारा देय मालगुजारी का हंगामा		
73							
348							
350/1							
347							
5				0.4550	0		0

कुल गाटे पाँच कुल क्षेत्रफल - शून्य दशमलव चार पाँच शून्य (हैटेयर) कुल मू. राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये



Data Digitally Signed by: RAJARAM

उपरोक्त उद्धरण खतोनी का वैधिकीकरण <http://uphuhalekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।

सहम अधिकारी: RAKESH तहसील: सदर जन्मपद: अयोध्या दिनांक एवं समय: 19-10-2022 11:18 18
 यह उद्धरण खतोनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा प्रिंटर द्वारा प्रिंट किया गया है।

31/10

15/10/2020 में से संशुद्ध-13935 वर्ग मीटर
सूची-001/955860 खाने 0.1: रूप से विक्रेता-
समूह 1/ भावावधि निवासी जयनरपुर परगना
खेती अथवा जमीन पर जिला-उदयपुर का नाम
निर्दिष्ट करके पुस्तक में पर जिला-खेती कृषा देवी
पत्नी रामा प्रसाद शिवड़ी निवासी-उदय अमवापुर
जिला-उदयपुर का नाम देना दिनांक 16.03.2021 के
आदेश से उक्त संपत्ति का
दिनांक 26.08.2021



6.0/10

10 10 2020 11:10

Handwritten signature or mark.

वार्षिक खतौनी (उत्त क्षेत्रों हेतु जहाँ जिनो वि० एक्ट लागू नहीं है)

ग्राम: खारपुरा तहसील: खारपुरा जिला: झाँसी जिला संख्या: 1488

न० खाता खतौनी	किसान का नाम पत्नी का नाम निवास स्थान	खतौनी का अंश	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	लगान		विवरण
					नकदी	जिनसी	
1	2	3	4	5	6	7	8
	डिहसा	अबकल	31				
	१ आर्ध्वम सेवा सेंटर नई दिल्ली खेत न० १ जिनम ६ - गैर मुसाकिन		२९	०.०३५			
२२६	तिलई नाला		३०८	०.११०			
	२- हकीपत मुतकारिका खेत न० २ जिनम ६ - गैर मुसाकिन		२६	०.०८०			
२२८	तिलई नाला		३०५	०.०६३			
	स्वतंत्र प्रतिलिपि प्रमाणित शासकीय कार्यालय						

19-10-2022




वार्षिक खतौनी (उन क्षेत्रों हेतु जहाँ ज०वि० एक्ट लागू नहीं है)

ग्राम बासूपुर सिरसा उर्फ जयसिंहपुर महाल... परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला
अयोध्या फसली सन 1428

न० खाता खतौनी	किसान का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान	खेती करने की अवधि	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	लगान		विवरण
					नकदी	जिन्सी	
1	2	3	4	5	6	7	8
हिस्सा अखला 'अ'							
1. आर्य धर्म सेवा संघ मुकाम व दफ्तर डायरेक्टर लाइन नई दिल्ली खेवट नं० 1							
							(1) भूमि
जिम-9 गैर मुमकिन जिस पर पानी हो-							
229	तेलई नाला		21	0.025			
			308	0.110			
2 हकीमत नुतकरिका रेलवे मु० खाता खेवट नं० 2							
जिम-9 गैर मुमकिन (1) भूमि जिस पर पानी हो-							
234/1	तेलई नाला		56	0.080			
			305	0.063			





१. १००० रु. तक का मूल्य का भूखण्डों का मालिकानामा
 पंजीयन शुल्क
 २. १००० रु. से अधिक का मूल्य का भूखण्डों का मालिकानामा
 पंजीयन शुल्क

उद्धरण स्वतन्त्री (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1663629221034

ग्राम क्रमांक : 16636 ग्राम का नाम : परमाना : काजीपुर गितावा/हेबती अवध, प्रकृति वर्ग : 112-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1
 खाता : खानदार का नाम : पिता पीते सरक्षक का नाम / निवास : भौतिक परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उत्तका संरक्षण टिप्पणी
 स्वतन्त्री : खानदार का नाम : पिता पीते सरक्षक का नाम / निवास : आर्थिक परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उत्तका संरक्षण टिप्पणी
 क्रम : स्थान : पितृ पाले सरक्षक का नाम / निवास : प्रारम्भ होने वाले अधिकारी का पद
 संख्या : का वर्ष : खसरा संख्या : क्षेत्रफल (हे.) : गाते का प्रयोग : खानदार द्वारा टिप्पणी : गाते का प्रयोग : गाता/जारी या समाप्त

1	2	3	4	5	6	7
00092	राम कृष्ण / राम आसरे / हेबत पुर	1373	86	0.1390	1458	उपजलाधिकारी महोदय सटर के मादस 169-आदेशदि 23.02.08को प्रदेश हुआकि संख्या 68.69.70 पर 119मि सिस्को केभी-3 से निरस्त करके गाव समा न लिखित किया गया 08.03.08
	श्याम कृष्ण / राम आसरे / हेबत पुर	1373	115	0.0250		1422क न्यायालय अपर आयुक्त प्रशासन फेजाबाद नउठन फेजाबाद निगरानी सं.364/1874बई 06.03.2009तक के.10.4.2014अन्तर्गत धारा 219भू.रा.अधिरामकृष्ण आदि बनाम उ.प्र.सरकार आदि ग्राम काजीपुर वित्तावी न प्रस्तुत निगरानी उपजलाधिकारी सटर फेजाबाद द्वारा वाद संख्या 169अन्तर्गत धारा 33/393उ.प्र.भू.रा.अधि में पारित आदेश दिनांक 23.2.2008के विरुद्ध प्रस्तुत है।पत्रगत आदेश 23.2.08के विरुद्ध निगरानी कर्ता विलारी राणवेन्द्र द्वारा बनाम सरकार उ.प्र.आदि तथा निगरानी सं.1259/फेजाबाद में पारित आदेश दिनांक 21.6.2010 से निरस्त किया जा चुका है। ह.र.का.06.12.14
	जय कृष्ण / राम आसरे / हेबत पुर	1373	118	0.1010		
		1373	119मि	0.2910		
			5	0.6880	2	0



Handwritten signature or initials.

कुल गाटे पाँच कुल क्षेत्रफल: श्याम दशमलव छ: आठ गाठ श्याम (हेबतपुर) कुल भू-राजस्व - एक सात दशांश सात पाँच रुपये

1 refo

Data Digitally Signed by: RAJARANI

Digitally signed by RAJARANI, DN: cn=RAJARANI, o=RAJARANI, ou=RAJARANI, email=RAJARANI@RAJARANI.COM



Digitally signed by RAJARANI, DN: cn=RAJARANI, o=RAJARANI, ou=RAJARANI, email=RAJARANI@RAJARANI.COM

1 refo

Digitally signed by RAJARANI, DN: cn=RAJARANI, o=RAJARANI, ou=RAJARANI, email=RAJARANI@RAJARANI.COM



109

8

Q

1 refo

10 refo 11-06

वार्षिक खतौनी (उन क्षेत्रों हेतु जहाँ जि० वि० एक्ट लागू नहीं है)

ग्राम काजीपुर, तहसील सदर, जिला अयोध्या, सन् 1972

नं० खाता खतौनी	किसान का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खेती करने की अवधि (वर्षों में)	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	लगान		विवरण
					नकदी	जिनसी	
1	2 मोहाल रेकरपुर दिसा अब्बल 9 रादेश कुमार झाई सु० खताखेच नं० 9 जिमन ६ गेर मुमकिन - ६ (१) भूमि जिस पर पानी है - तालाब	3	4 96-अ अ	5 0.922	6	7	8

9/8

सचयंत्र लिपि प्रमाणित।
शासकीय कार्यालय हेतु।

19-10-2022



फार्म मिलने का पता- तिवारी स्टाम्प एवं फार्म विक्रेता, तहसील सदर, अयोध्या मो.: 9793847888, 9452671100

सहयोगी- रामजी तिवारी (एडवोकेट)

वार्षिक खतौनी (उन क्षेत्रों हेतु जहाँ ज०वि० एक्ट लागू नहीं है)

ग्राम काजीपुर चितावा महाल, पारसगंज हवेली अवध, तहसील सदर जिला अयोध्या फसली
सं. 1428

नं० खाता खतौनी	किसान का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खतौनी खतौनी की अवधि	खतौनी नम्बर	क्षेत्रफल	लाभ		विवरण
					नकदी	खिल्ला	
1	2	3	4	5	6	7	8
महाल, पारसगंज हवेली अवध, तहसील सदर जिला अयोध्या फसली							
हिस्सा अवयल अ							
1. राकेश कुमार आदि मु० खता खेट नं० 1							
जिम-9 गैर मुमकिन (1) भूमि जिस पर पानी हो-							
1/5	तालाब		1793	0.152			

Q



वार्षिक खतौनी (उन क्षेत्रों हेतु जहाँ जि० वि० एक्ट लागू नहीं है)

ग्राम काजीपुर चिखरी परगना ६३१० तहसील सगर जिला अयोध्या फसली सन् १५३३

न० जाला खतौनी	किसान का नाम पिता का नाम निवास स्थान	छेती करने की अदधि	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	लगात		विवरण
					नकदी	जिनसी	
11/10	मोहाल- रेकरपुर (हिस्सा अखिल ब) श्री गणेश रघुवशक्षण जी भगवान खवाहा खेबट नं० १ - जिनम-६ (९) गैर मुनकिन - तिलई नाला	/	६६ मि.	०.०१०			
१/२५	मोहाल- काजीपुर चिखरी हिस्सा अखिल 'अ' श्री चतुष्पथरी जी भगवान का स्थान सर्व महल देवेन्द्र प्रसाद मि शास्त्री उर्फ देवेन्द्र प्रसाद-चापि मुखात खेबट नं० १ - जिनम-६ (९) गैर मुनकिन - (९) भूमि जिस पर पानी है - तिलई नाला		६२ मि.	०.१६६			
			१६६ मि.	०.१५१			
			२० मि.	०.२२६			

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित।
शासकीय कार्यालय
संयुक्तपुरा
१९१०.१०.१०



①

वार्षिक खतौनी (उन क्षेत्रों हेतु जहाँ ज०वि० एक्ट लागू नहीं है)

ग्राम काजीपुर चितावां महाल.... परराना हवेली अवध तहसील सदर जिला अयोध्या फसली
सन 1428

न० खाता खतौनी	किसान का नाम, पिता का नाम, निवास सीन	खेती करने की अवधि	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	लगान		विवरण
					नकदी	जिन्सी	
1	2	3	4	5	6	7	8
		महाल रैकरपुर					
		हिस्सा अब्दुल 'अ'					
	श्री ठाकुर रघुवंश भूषण जी महाराज विराजमान मन्दिर रामनिवास मु० खाता खेवट न० 1						
	जिमन-9 गैर मुमकिन (1) भूमि जिस पर पानी है-						
11/10	तिलई नाला		64मि.	0.010			
		महाल- काजीपुर चितावां					
		हिस्सा अब्दुल 'अ'					
	श्री धनुषधारा जी भगवान का स्थान सर्व महन्त देवेन्द्र प्रताप दास शास्त्री उर्फ देवेन्द्र प्रसन्नाचार्य मु० खाता खेवट न० 1						
	जिमन-9 गैर मुमकिन (1) भूमि जिस पर पानी हो-						
1/20	तिलई नाला		65	0.177			
			179ब	0.152			
			2-0	0.329			



ग्राम काजीपुर चितावा

परगना हवेली अवध
तहसील व अक्षा फुजाबाद

बानस १६३७ ई.

जमीन बनावत १६३२ फिट

(६२)

उत्तर




काजीपुर

हवेली

चितावा

12226



हवेली

काजीपुर

हवेली



पाठकपुर

उद्धरण खतोनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 16677249321004

श्री. लक्ष्मण, 16677249321004 नाम का नाम परमना - तंकरपुरा, हवेली अलाहा, तहसील, सदर, जिला, अयोध्या, कसती बर्ग, 1456-1311001 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2021) धारा 11
 आवेदक का नाम: श्री. लक्ष्मण, आवेदक का पता: तंकरपुरा, हवेली अलाहा, तहसील, सदर, जिला, अयोध्या
 आवेदक का नाम: श्री. लक्ष्मण, आवेदक का पता: तंकरपुरा, हवेली अलाहा, तहसील, सदर, जिला, अयोध्या
 आवेदक का नाम: श्री. लक्ष्मण, आवेदक का पता: तंकरपुरा, हवेली अलाहा, तहसील, सदर, जिला, अयोध्या



क्र.सं.	विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री. लक्ष्मण, 16677249321004 नाम का नाम परमना - तंकरपुरा, हवेली अलाहा, तहसील, सदर, जिला, अयोध्या, कसती बर्ग, 1456-1311001 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2021)								15
2	श्री. लक्ष्मण, 16677249321004 नाम का नाम परमना - तंकरपुरा, हवेली अलाहा, तहसील, सदर, जिला, अयोध्या, कसती बर्ग, 1456-1311001 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2021)								22
3	श्री. लक्ष्मण, 16677249321004 नाम का नाम परमना - तंकरपुरा, हवेली अलाहा, तहसील, सदर, जिला, अयोध्या, कसती बर्ग, 1456-1311001 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2021)								19
4	श्री. लक्ष्मण, 16677249321004 नाम का नाम परमना - तंकरपुरा, हवेली अलाहा, तहसील, सदर, जिला, अयोध्या, कसती बर्ग, 1456-1311001 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2021)								
5	श्री. लक्ष्मण, 16677249321004 नाम का नाम परमना - तंकरपुरा, हवेली अलाहा, तहसील, सदर, जिला, अयोध्या, कसती बर्ग, 1456-1311001 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2021)	5	0.0510						
6	श्री. लक्ष्मण, 16677249321004 नाम का नाम परमना - तंकरपुरा, हवेली अलाहा, तहसील, सदर, जिला, अयोध्या, कसती बर्ग, 1456-1311001 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2021)	6	0.5820						
7	श्री. लक्ष्मण, 16677249321004 नाम का नाम परमना - तंकरपुरा, हवेली अलाहा, तहसील, सदर, जिला, अयोध्या, कसती बर्ग, 1456-1311001 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2021)	20	0.2970						
8	श्री. लक्ष्मण, 16677249321004 नाम का नाम परमना - तंकरपुरा, हवेली अलाहा, तहसील, सदर, जिला, अयोध्या, कसती बर्ग, 1456-1311001 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2021)	49	0.0630						
9	श्री. लक्ष्मण, 16677249321004 नाम का नाम परमना - तंकरपुरा, हवेली अलाहा, तहसील, सदर, जिला, अयोध्या, कसती बर्ग, 1456-1311001 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2021)	56	0.0630						
10	श्री. लक्ष्मण, 16677249321004 नाम का नाम परमना - तंकरपुरा, हवेली अलाहा, तहसील, सदर, जिला, अयोध्या, कसती बर्ग, 1456-1311001 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2021)	118	1.7700						
11	श्री. लक्ष्मण, 16677249321004 नाम का नाम परमना - तंकरपुरा, हवेली अलाहा, तहसील, सदर, जिला, अयोध्या, कसती बर्ग, 1456-1311001 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2021)	129	0.4550						
12	श्री. लक्ष्मण, 16677249321004 नाम का नाम परमना - तंकरपुरा, हवेली अलाहा, तहसील, सदर, जिला, अयोध्या, कसती बर्ग, 1456-1311001 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2021)	359	0.2400						
13	श्री. लक्ष्मण, 16677249321004 नाम का नाम परमना - तंकरपुरा, हवेली अलाहा, तहसील, सदर, जिला, अयोध्या, कसती बर्ग, 1456-1311001 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2021)	340	0.0220						
14	कुल गट्टे - नौ कुल क्षेत्रफल - तीन दशमलव पांच चार तीन शून्य (लेन्टियर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये	9	3.5430				₹ 0.00		

श्री. लक्ष्मण, 16677249321004 नाम का नाम परमना - तंकरपुरा, हवेली अलाहा, तहसील, सदर, जिला, अयोध्या, कसती बर्ग, 1456-1311001 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2021)


Data Digitally Signed by: RAJARAM



सक्षम अधिकारी: RAKESH
 तहसील: सदर, जिला: अयोध्या
 दिनांक एवं समय: 19/10/2022 11:31:13
 0 यह उद्धरण खतोनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा उदात्त डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उपरोक्त उद्धरण खतोनी का वेरीफिकेशन <http://upbhulakh.gov.in/Website> पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी प्रमाणित



ग्राम. तकपुरा
 परगना. हबेली अकला
 तहसील. सरदर
 जिला. अजमेर



109910
 22/12/22
 07/5/81




उद्धरण खतोनी (शासकीय)

ग्राम क्रमांक : 166359 ग्राम का नाम : परगना : हेवतपुराहवती अवध, तहसील : सदर जनपद : अयोध्या जसती वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 3019 से 30 जून, 2025) भाग : 1

खतोनी खातेदार का नाम : पिता पति, सरक्षक का नाम : निवास : मोमिक जाते के पर्येक प्रतिवर्तन सम्बन्धी आत्रा या उसका साराय रिज्यती नाम : खतोनी स्थाण : अधिकार : प्रारम्भ होने गाटे की उन्नकी संख्या तथा दिनांक सहित और आत्रा देने वाले अधिकारी का पद

संख्या : खसरा खसरा का बर्ष : 1 5 6 7-12 13



श्रेणी : 6-1 / अकृषिक भूमि : लक्ष्मण भूमि ।

00216 नाता // हेवतपुर

कुल गाटे : दो कुल क्षेत्रफल : भूमि दशमलव सात चार छः शून्य (हैन्टेयर) कुल भूराजस्व : भूमि दशमलव शून्य शून्य रूप्य

Data Digitally Signed by: RAJARAM

आधिकार उद्धरण खतोनी की वेबसाइट <http://uphalekh.gov.in> पर जाकर जांच कर सकते हैं।




संकेत अधिकारी: RAJESH तहसील: सदर जनपद: अयोध्या दिनांक एवं समय: 19-10-2022 11:21:32

0 यह उद्धरण खतोनी की वेबसाइट <http://uphalekh.gov.in> पर जाकर जांच कर सकते हैं।

Handwritten mark

191



166359

10 10 2022 11:21:32

Annexure-15



उत्तरण खतौनी (राजकीय)

उत्तरण क्रमांक : 16635920210133

ग्राम क्रमांक : 166359 ग्राम का नाम, परगना : हैवतपुर(हवेली अंतर्ग) तहसील : रादर जनपद : अयोध्या कसती वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1

खता खतौनी क्रम संख्या : खतौदार का नाम, पितो पीते सरदारक का नाम, निवास्त भीमिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष : खतौदार द्वारा प्रत्येक गाटे के प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) : खतौदार द्वारा देय मातृगुजरी या लगान वाले अधिकारी का पद : टिप्पणी

1 2 3 4 5 6 7-12 13

श्रेणी : 1-क/शुभ्र जो सऊमणीः भूमिधरो कःअधिकार में हो।

00190 सुनील कुमार / कःचई लाल / नि.ग्राम
सुरेश कुमार / कःचई लाल / नि.ग्राम
सुजीत कुमार / कःचई लाल / नि.ग्राम
राकेश कुमार / कःचई लाल / नि.ग्राम
निर्मला देवी / कःचई लाल / नि.ग्राम
बाबू लाल / परमेश्वरी / हैवत पुर
राम अंधार / परमेश्वरी / हैवत पुर



कुल गाटे-दो कुल क्षेत्रफल-शुभ्र दशमलव दो छ. आठ शुभ्र (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - एक दो दशमलव चार शुभ्र रुपये ₹ 12.40 0 0

Data Digitally Signed by: RAJAJIKAM



सहम अधिकारी: RAKESH
तहसील: रादर जनपद: अयोध्या
दिनांक एवं समय: 19-10-2022 11:22:55
यह उत्तरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजीबरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा ऊपर डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उपरोक्त उत्तरण खतौनी का वैधिकरण http://upbhulekh.gov.in/Website पर जाकर किया जा सकता है।

192

8



उद्धरण खतीनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1663/2022/0005

ग्राम क्रमांक : 1663/50 ग्राम का नाम / परगना : हेबलपुर (वैती अवध) तहसील : सदर जनपद : अगोध्या कसती वर्ष : 11.11.2022 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1

खातेदार का नाम : वित्त वि सारदाक का नाम निवास : खतीनी स्थान : खतीनी द्वारा परिवर्तन सम्बन्धी आका या उनका साराण दिनांक

कम : अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष : प्रत्येक गाँव की क्षेत्रफल (हे.) : प्रत्येक गाँव का क्षेत्रफल (हे.) : देय मातंगुजारी या लगान : उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और अका के बारे में अधिकारी का पद

1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : भूमि जो असाक्षिणों के अधामन या अधिकार को							
00207	नरकू / रमेसर / हेबलपुर	1390	60	0.2080			
		1390	61	0.0630			
		1390	62	0.0950			
		1390	63	0.0140			



कुल गाँव - चार कुल क्षेत्रफल - शून्य दशमलव तीन आठ शून्य शून्य (सैक्रेटर) कुल भूराजस्व - गाँव दशमलव पाँच शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: RAJARAM

उपरोक्त उद्धरण खतीनी का वेबसिगनेचर <http://upphulekh.gov.in> पर जाकर किया जा सकता है।



सदम अधिकारी: RAKESH
 तहसील: सदर जनपद: अगोध्या
 दिनांक एवं समय: 19-10-2022 10:33:14

कसती वर्ष: 11.11.2022
 193

यह उद्धरण खतीनी हस्तक्षेपित किया गया है।


सत्य प्रामाण्य प्रमाणित

ग्राम. देवतपुर
परगना हवेली भवपा
तहसील सुकु
जिला जयपूर

काशीपुर

काशीपुर

लाकपुरा



काशीपुर
लाकपुरा



①